

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल-I के लेखाओं का  
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि

1-4-2016 से 31-3-2017

भाग-एक

1 (क) प्रस्तावना

निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) को आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण नियम, 2004 की धारा 28(3) के अंतर्गत विहित प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एच.एस.जी.-4(डी)1-1/92/2, दिनांक 13.09.2004 के अनुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अधिकृत किया गया है। तदनुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के निर्माण मण्डल-I, जिला शिमला के लेखाओं अवधि 1.4.2016 से 31.3.2017 का अंकेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान इस मण्डल के आहरण एवं संवितरण अधिकारी के पद का कार्य निम्न अधिकारियों द्वारा निष्पादित किया गया।

क्रम सं०	नाम व पद नाम	अवधि
1.	श्री राज कुमार, अधिशाषी अभियन्ता	1.4.2016 से 7.4.2016
2.	श्री संदीप सेन, अधिशाषी अभियन्ता	17.4.2016 से 31.3.2017

(ख) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण, निर्माण मण्डल-I के लेखाओं अवधि 1.4.2016 से 31.3.2017 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण निम्न दिया गया है।

क्रम सं.	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण	पैरा सं.	राशि लाखों में (₹)
1	स्टाफ अग्रिम की राशि समायोजन हेतु शेष	6	1.76
2	विविध अग्रिम की राशि समायोजन हेतु शेष	6.1	91.65
3	जल प्रभार की राशि मकान/प्लाट मालिकों से वसूली हेतु शेष	8	6.94
4	रख-रखाव प्रभार की राशि वसूली हेतु शेष	8.1	38.32
5	आवासीय बस्तियों के रख-रखाव प्रभार की प्राप्ति से अधिक व्यय के कारण हानि	8.3	38.37
6	आवासीय बस्तियों के जल प्रभार की प्राप्ति से अधिक व्यय के	8.4	3.77

कारण हानि			
7	प्रशासनिक प्रभार की प्राप्ति की तुलना में वेतन व भत्तों पर अधिक व्यय	10	334.25
8	भण्डार मदों का विगत कई वर्षों से उपयोग न करना	14	9.46
9	तकनीकी कर्मचारियों का गलत वेतन निर्धारण करने के कारण अधिक भुगतान करना	15	0.51
10	श्रेणी-4 के कर्मचारी को 20 वर्ष की सेवा अवधि उपरांत अतिरिक्त वेतन वृद्धि का गलत लाभ प्रदान करने के कारण अनियमित भुगतान	15.1	0.26
11	सेवा कर व स्वच्छ भारत सेस जमा न करना	19	29.80
12	Approved Drawings के अनुसार स्टील वर्क का सही प्रयोग न करने के कारण अधिक भुगतान	23(i)	0.28
13	सीमेंट स्लरी की मद का अनुचित उपयोग के कारण अधिक भुगतान	23(ii)	0.17
14	सीवरेज पाइप की अधिक मात्रा निष्पादित करने के कारण अधिक भुगतान	23(v)	0.22
15	संविदाकार के टेंडर में कटिंग होने के कारण अधिक भुगतान	23(viii)	0.41

### (ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न परिशिष्ट “क” में दर्शाई गई है। वर्ष 04/1995 से 03/2016 तक मण्डल से संबन्धित 302 पैरे शेष हैं, जिनका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार से हैं:-

क्रम सं०	वर्ष	शेष पैरों की संख्या
1	4/1995 से 3/1996 तक	3
2	4/1996 से 3/1997 तक	1
3	4/1998 से 3/1999 तक	3
4	4/2000 से 3/2001 तक	4
5	4/2001 से 3/2002 तक	5
6	4/2002 से 3/2003 तक	1
7	4/2003 से 3/2004 तक	5
8	4/2004 से 3/2005 तक	5

9	4/2005 से 3/2006 तक	5
10	4/2006 से 3/2007 तक	1
11	4/2007 से 3/2008 तक	2
12	4/2008 से 3/2009 तक	10
13	4/2009 से 3/2010 तक	13
14	4/2010 से 3/2011 तक	5
15	4/2011 से 3/2012 तक	11
16	4/2012 से 3/2013 तक	8
17	4/2013 से 3/2014 तक	22
18	4/2014 से 3/2015 तक	9
19	4/2015 से 3/2016 तक	24

पूर्व नगर विकास प्राधिकरण में मण्डल-1 को वांछित कार्यवाही हेतु स्थानान्तरित पैरों की संख्या:-

1	4/1990 से 3/1991 तक	3
2	4/1991 से 3/1992 तक	12
3	4/1992 से 3/1993 तक	7
4	4/1993 से 3/1994 तक	24
5	4/1994 से 3/1995 तक	10
6	4/1995 से 3/1996 तक	14
7	4/1996 से 3/1997 तक	28
8	4/1997 से 3/1998 तक	36
9	4/1998 से 3/1999 तक	16
10	4/1999 से 15.1.2001 तक	15

अतः अधिशाषी अभियन्ता, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल-I, जिला शिमला, हि.प्र. के उपरोक्त शेष अंकेक्षण पैरो में अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त इन पैरो का निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें।

## भाग-2

### 2. वर्तमान अंकेक्षण

हि०प्र० आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल-I के लेखाओं अवधि 1.4.2016 से 31.3.2017 तक का वर्तमान अंकेक्षण श्री मनजीत भाटिया, अनुभाग अधिकारी (ले०प०) द्वारा श्री हेम राज भारद्वाज, उप-निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश), शिमला-09 के पर्यवेक्षण में दिनांक 7.10.2017 से 4.1.2018 तक शिमला स्थित कार्यालय में किया गया। मास 8/2016 के लेखाओं का चयन विस्तृत जाँच के लिए किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है। आगामी पैराग्राफों में दर्शाए गए अभिलेखों के अतिरिक्त समस्त अभिलेख अंकेक्षण हेतु उपलब्ध करवाया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण, अधिशाषी अभियन्ता, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल-I, जिला शिमला, हि. प्र. द्वारा प्रेषित सूचनाओं के आधार पर किया गया है, किसी प्रकार की अधूरी व छुपाई गई सूचना के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) शिमला-09 का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

### 3. अंकेक्षण शुल्क

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के निर्माण मण्डल-I, जिला शिमला के लेखाओं अवधि 1.4.2016 से 31.3.2017 के अंकेक्षण शुल्क की राशि जमा करवाने हेतु सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिमाचल प्रदेश, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण शिमला-02 को अलग से अनुरोध किया जाएगा।

### 4 बैंक समाधान विवरणी

निर्माण मण्डल-I शिमला-09 के दिनांक 31.03.2017 को बैंक समाधान विवरण का पूर्ण व्यौरा परिशिष्ट-“ख” पर दिया गया है। बैंक समाधान विवरण का अवलोकन करने पर निम्न आपत्तियाँ पाई गईं जिनके सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 09, दिनांक 15.11.2017 का कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया जो कि आपत्तिजनक है। अतः अपेक्षित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये निम्न आपत्तियों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित किया जाये:-

#### 4.1 यूको बैंक, निगम विहार, शिमला-02 (खाता संख्या 45)

##### 4.1.1 ₹6882.84 का दिनांक 31.03.2017 तक क्रेडिट न दिया जाना

चैक सं० 575036 दिनांक 30.07.1986 3842.55

चैक सं० 406004 दिनांक 22.02.1989 3040.29

**6882.84**

उपरोक्त दोनों चैक यूको बैंक निगम विहार में वर्ष 1986 और 1989 में जमा करवाए गए थे परन्तु आज तक बैंक द्वारा उक्त दोनों चैको की राशि को निर्माण मण्डल के बैंक खाते में जमा नहीं किया गया है। इतनी अधिक पुरानी अवधि के चैकों को बैंक द्वारा किन कारणों से मण्डल के खातों में जमा नहीं किया गया इस तथ्य की पूर्ण जानकारी बैंक से प्राप्त करके अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तदानुसार अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

## 4.2 एक्सिस बैंक (खाता संख्या 1083)

### 4.2.1 ₹2.83 लाख के कालातीत चैकों को रद्द न करना

निम्न वर्णित चैकों को दिनांक 12.12.2016 को भुगतान हेतु जारी किया गया परन्तु इन्हें बैंक से दिनांक 31.3.2017 तक भुनाया नहीं गया था, जबकि नियमानुसार उक्त चैक जारी होने से 3 माह पश्चात कालातीत हो चुके हैं। अतः इन चैकों को रद्द करके रोकड़ बही की आय की तरफ लेखांकित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

चैक संख्या	दिनांक	राशि (₹)
112759	12.12.2016	2,80,050
112760	12.12.2016	2,829
	कुल	₹2,82,879

### 4.2.2 चैक ₹0.32 लाख को रोकड़ बही में लेखांकित न करना

₹31,532 का चैक संख्या 071578, दिनांक 29.4.14 को भुगतान हेतु जारी किया गया जिसका दिनांक 4.10.14 को बैंक से भुगतान कर दिया गया। इसके पश्चात 7.10.14 को बैंक द्वारा इस चैक को पुनः बैंक खाते में क्रेडिट/जमा किया गया परन्तु इस राशि को दिनांक 31.3.2017 तक रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किया गया। अतः बैंक से मामले की पूर्ण जानकारी प्राप्त करके अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तदनुसार अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

### 4.2.3 चैक ₹0.06 लाख को रोकड़ बही में लेखांकित न करना

₹6,225 का चैक संख्या 100413, दिनांक 6.4.16 को भुगतान हेतु जारी किया गया जिसका दिनांक 6.4.16 को ही बैंक से भुगतान कर दिया गया। परन्तु बैंक द्वारा दिनांक 6.4.16 को ही इस चैक को पुनः बैंक खाते में क्रेडिट/जमा किया गया जिसे दिनांक 31.3.2017 तक रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किया गया। अतः बैंक से इस प्रकरण की पूर्ण जानकारी प्राप्त करके अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाये व अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

### 4.2.4 ₹840 का समाधान न करना

₹19,082 का चैक संख्या 093358, दिनांक 19.11.15 को भुगतान हेतु जारी किया गया परन्तु बैंक द्वारा उक्त चैक के विरुद्ध केवल ₹18,242 का भुगतान किया गया। इस प्रकार ₹840 के अन्तर की राशि का दिनांक 31.3.2017 तक मण्डल द्वारा समाधान नहीं किया गया था। अतः इस सम्बन्ध में उचित छानबीन करके शीघ्र अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

#### **4.2.5 ₹0.27 लाख को बैंक द्वारा डेबिट/भुगतान किए जाने को रोकड़ बही में लेखांकित न करना**

बैंक द्वारा दिनांक 22.9.2016 को ₹27,261 खाते से डेबिट/भुगतान दर्शाई गई परन्तु रोकड़ बही में इस प्रकार की कोई भुगतान राशि नहीं पाई गयी। अतः बैंक से मामले की पूर्ण जानकारी प्राप्त करके यह सुनिश्चित किया जाये कि बैंक द्वारा वास्तव में किसे भुगतान किया गया अन्यथा यह राशि बैंक से पुनः खाते में क्रेडिट/प्राप्त की जाये। अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

#### **4.3 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (खाता संख्या 4327)**

##### **4.3.1 ₹632.50 के बैंक चर्जिज को रोकड़ बही में लेखांकित न करना**

बैंक द्वारा दिनांक 12.3.2017 को ₹632.50 बैंक चर्जिज के रूप में काटी गई जिसको दिनांक 31.3.2017 तक रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किया गया था। अतः इस सम्बन्ध में शीघ्र अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

#### **4.4 पंजाब नैशनल बैंक (खाता संख्या 1504)**

##### **4.4.1 ₹593 के बैंक चर्जिज को रोकड़ बही में लेखांकित न करना**

बैंक द्वारा दिनांक 20.3.2017 को ₹173 व दिनांक 29.3.2017 को ₹420 बैंक चर्जिज के रूप में काटी गई जिसको दिनांक 31.3.2017 तक रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किया गया था। अतः इस सम्बन्ध में शीघ्र अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

#### **4.5 पंजाब नैशनल बैंक (खाता संख्या 1900)**

##### **4.5.1 ₹1996 के ब्याज को रोकड़ बही में लेखांकित न करना**

बैंक द्वारा दिनांक 5.12.2016 को ₹999 व दिनांक 5.3.2017 को ₹997 का ब्याज खाते में जमा किया गया जिसको दिनांक 31.3.2017 तक रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किया गया था। अतः इस सम्बन्ध में शीघ्र अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

#### **5 रोकड़ बही में जमा ₹40.65 लाख का कोई विवरण प्रस्तुत न करना**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रोकड़ बही पृष्ठ-143 में प्राप्ति वाउचर संख्या 55, दिनांक 17.8.2016 द्वारा Misc. Receipt A/C के अन्तर्गत ₹40,64,618 जमा की गयी जिसमें टिप्पणी दी गयी थी कि Axis Bank द्वारा दिनांक 9.12.2015 को बैंक स्टेटमेंट में इस राशि का क्रेडिट/जमा दिया गया था जिसे अब उक्त लेखा शीर्ष के अन्तर्गत दिनांक 17.8.16 को लेखांकित किया गया। परन्तु मण्डल द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि यह राशि किस व्यक्ति/संस्था से किस

प्रयोजन हेतु प्राप्त हुई। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 11 , दिनांक 16.11.2017 का कोई भी प्रतिउत्तर अंकेक्षण की समाप्ति तक मण्डल कार्यालय द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया जो कि आपत्तिजनक है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये। अतः इस सम्बन्ध में बैंक से पूर्ण विवरण प्राप्त करके वास्तविकता का पता लगाया जाये ताकि इसे सही शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जा सके। कृत कार्यवाही से तदानुसार अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

## 6 स्टाफ अग्रिम ₹1.76 लाख समायोजन हेतु शेष

स्टाफ अग्रिम लेखा की जाँच करने पर गया कि दिनांक 31.3.2017 तक ₹1,76,309 समायोजन हेतु शेष थी। जिसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट-“ग” में दिया गया है। स्टाफ अग्रिम विवरण की जाँच में पाया गया कि अधिकतर अग्रिम सहायक अभियन्ताओं एवं कनिष्ठ अभियन्ताओं से संबन्धित थे। अतः इस सम्बन्ध में अग्रिम के समायोजन हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाए। तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

### 6.1 विविध अग्रिम ₹91.65 लाख समायोजन हेतु शेष

मण्डल द्वारा परिशिष्ट-“घ” पर प्रस्तुत विवरण में विभिन्न विभागों/फ़र्मों/ संविदाकारों को प्रदान विविध अग्रिम राशि में से दिनांक 31.3.2017 को केवल ₹9,40,106 समायोजन हेतु शेष दर्शाई गई थी। जबकि अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त राशि के अतिरिक्त निम्न विवरणानुसार समायोजन हेतु लम्बित ₹82,24,804 की विविध अग्रिम राशियों के शेषों को वर्ष 2015-16 की खाता बही से वर्ष 2016-17 की खाता बही में carry over नहीं किया गया था जिससे मण्डल की खाता बहियाँ लेन-देन की सही स्थिति प्रस्तुत नहीं करती हैं। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 12 दिनांक 17.11.2017 का कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया जो कि आपत्तिजनक है। इस प्रकार वास्तव में 31.3.2017 तक विविध अग्रिम के रूप में कुल ₹91,64,916 ( ₹9,40,106+₹82,24,810) समायोजन हेतु शेष थी जिनमें से अधिकतर राशियाँ अनेक वर्षों से निपटारे हेतु लम्बित पड़ी हुई थीं। अतः पाई गई त्रुटि बारे उचित स्पष्टीकरण दिया जाए व निम्न वर्णित राशियों को शीघ्र वर्ष 2016-17 की खाता बहियों में carry over करके विविध अग्रिम राशियों की समेकित स्थिति तैयार की जाये व इनके समायोजन हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाये। अनुपालना से अंकेक्षण को तदानुसार सूचित किया जाए:-

क्रम सं०	खाते का नाम	वर्ष 2015-16 खाता बही पृष्ठ	अन्त शेष राशि जो 2016-17 की खाता बही में carry over नहीं की
----------	-------------	-----------------------------	---

			गई
1	Misc. Advance Account of contractors/firms Sh. Beli Ram, Contractor	366	5,833 Dr.
2	-do- Sh. Anil Chauhan, Contractor	370	52,27,559 Dr.
3	-do- Sh. Inder Kumar, Govt. Contractor	370	2,07,733 Dr.
4	-do- Sh. Anil Thakur, Govt. Contractor	370	2,281 Dr.
5	-do- Sh. Naresh Sharma, Govt. Contractor	370	1,804 Dr.
6	-do- Sh. Vijay Kumar, Govt. Contractor	370	1,09,856 Dr.
7	-do- Sh. R.S. Rana, Govt. Contractor	371	16,81,467 Dr.
8	-do- Sh. M/S Kapil Constructions, Govt. Contractor	371	1,48,785 Dr.
9	-do- Sh. Vijay Aggarwal, Govt. Contractor	371	2,01,104 Dr.
10	-do- Sh. Shivanand Shandil, Govt. Contractor	371	15,072 Dr.
11	-do- Sh. Rajinder Singh Mehta, Contractor	371	1,30,152 Dr.
12	-do- Sh. Ram Bhilai, Govt. Contractor	371	9,383 Dr.
13	-do- Sh. R.M. Madan, Govt. Contractor	371	60,418 Dr.
14	-do- Sh. Rajeev Malhotra, Govt. Contractor	371	2,99,042 Dr.
15	-do- Sh. Tarlok Chand, Contractor	371	13,977 Dr.
16	-do- Sh. J.K. Kapoor, AE, HPPWD	379	1,10,344 Dr.
<b>Total</b>			<b>₹82,24,810 Dr.</b>

## 6.2 विविध अग्रिम ₹1.10 लाख अनेक वर्षों से समायोजन के लिए लम्बित

विविध अग्रिम विवरण की जाँच करने पर पाया गया कि ₹1,10,344 श्री जे. के. कपूर ए.ई. (सेवानिवृत्त) जो कि एच.पी.पी.डबल्यू.डी. से हिमुडा निर्माण मण्डल-1 में प्रतिनियुक्ति पर आए थे, से गत कई वर्षों से समायोजन के लिए लम्बित है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6.1 में भी अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाई गई थी परन्तु आज तक इस राशि के समायोजन के लिए कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। चर्चा के दौरान अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त राशि के समायोजन हेतु उचित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। लेकिन उनके द्वारा किया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है क्योंकि यह राशि गत अनेक वर्षों से समायोजन हेतु शेष है। अतः इस सम्बन्ध में वास्तविक रूप से शीघ्र ठोस कार्यवाही की जाये व इसके लिये जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार उचित कार्यवाही की जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोताही की पुनरावृत्ति न हो। कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी सूचित किया जाए।

## 7 विभिन्न खातों से ₹17.12 लाख के अन्त शेषों को तलपट में गलत उठाना

अंकेक्षण के दौरान निर्माण मण्डल के वर्ष 2016-17 के खातों का अवलोकन करने पर पाया गया कि स्थापना खाता बही के निम्न विवरणानुसार विभिन्न खातों से दिनांक 31.3.2017 को ₹17,11,666 के अन्त शेषों को तलपट (Trial Balance) में गलत उठाया गया था। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 10 दिनांक 16.11.2017 का कोई प्रतिउत्तर नहीं

दिया गया जो कि आपत्तिजनक है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये। अतः पाई गयी अनियमितता बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाये व खातों में आवश्यक सुधार करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये:-

क्रम सं०	खाते का नाम	खाता बही पृष्ठ	दिनांक 31.3.17 को खाते का शेष	तलपट में दिनांक 31.3.17 को लिया गया शेष	अन्तर
1	Misc. Advance A/C (HP State Civil Supply Corp. Ltd.)	292	56,85,405 Credit	57,39,715 Credit	54,310
2	Misc. Advance A/C (HP Civil Supply Corp. Mehli)	295	1,08,620 Credit	54,310 Credit	54,310
3	E/Money & Security Deposit Account	314 to 390	20,98,170 Credit 40,42,574 Debit	29,02,663 Credit 48,41,127 Debit	8,04,493 7,98,553
<b>कुल</b>					<b>₹17,11,666</b>

### 7.1 वर्ष 2015-16 के विभिन्न खातों के ₹1.77 लाख के अंत शेषों को वर्ष 2016-17 की खाता बही में carry over न करना

अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न खातों के अंतशेषों को वर्ष 2015-16 की खाता बही से वर्ष 2016-17 की खाता बही में carry over नहीं किया गया था जिससे खाता बहियाँ मण्डल के लेन-देन की सही स्थिति प्रस्तुत नहीं करती हैं। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 12 दिनांक 17.11.2017 का कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया जो कि आपत्तिजनक है। अतः पाई गई त्रुटि बारे उचित स्पष्टीकरण दिया जाए व निम्न वर्णित राशियों को शीघ्र वर्ष 2016-17 की खाता बहियों में carry over किया जाना सुनिश्चित किया जाए। तदनुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

क्रम सं०	खाते का नाम	वर्ष 2015-16 खाता बही पृष्ठ	अन्त शेष राशि जो 2016-17 की खाता बही में carry over नहीं की गई
1	CSSA of Executive Engineer (E), Shimla-9	457	1,04,665 Cr.
2	CSSA of Executive Engineer, Division-II	459	42,296 Dr.
3	Imprest Account under CSSA Executive Engineer, HIMUDA, Division-II	475	30,425 Cr.
<b>Total</b>			<b>₹1,77,386</b>

### 8 जल प्रभार के रूप में ₹6.94 लाख मकान/प्लॉट मालिकों से वसूली हेतु शेष:-

हिमुडा निर्माण मण्डल-I के अन्तर्गत विभिन्न आवास बस्तियों के मकान/प्लाट मालिकों से दिनांक 31.3.2017 तक ₹6,94,146.32 जल प्रभार के रूप में वसूली हेतु शेष थी जिसका विवरण निम्न दिया गया है। इस राशि की वसूली हेतु अपेक्षित उचित एवं प्रभावशाली कदम उठाए जायें:-

क्रम	आवासीय बस्ती का नाम	जल प्रभार की दिनांक 31.3.2017 तक शेष राशि
1	आवास बस्ती संजौली फेस-1 व 2	20,956.32
2	आवास बस्ती संजौली फेस-3	6,73,190.00
<b>कुल योग</b>		<b>₹6,94,146.32</b>

### 8.1 रख-रखाव प्रभार के रूप में ₹38.32 लाख वसूली हेतु शेष

हिमुडा निर्माण मण्डल-I के अन्तर्गत विभिन्न आवास बस्तियों के मकान/प्लाट/दुकान मालिकों से दिनांक 31.3.2017 तक ₹38,32,126 रख-रखाव प्रभार के रूप में वसूली हेतु शेष थी जिसका विवरण निम्न दिया गया है। अतः इस राशि की वसूली हेतु उचित एवं प्रभावशाली कदम उठाए जायें।

क्रम सं०	आवासीय बस्ती का नाम	रख-रखाव प्रभार की दिनांक 31.3.2017 तक शेष राशि (₹)
1	आवास बस्ती संजौली फेस-1 व 2	29,922.00
2	आवास बस्ती संजौली फेस-3	9,48,353.00
3	आवास बस्ती रोहड़ू	26,78,923.00
4	आवास बस्ती ठियोग	1,74,928.00
<b>कुल योग</b>		<b>₹38,32,126.00</b>

### 8.2 (i) आवासीय बस्ती संजौली से रख-रखाव व जल प्रभार की प्राप्त आय को विलम्ब से मण्डल कार्यालय में जमा करवाना

हि०प्र० वित्तीय नियम, 1971, खण्ड-I के नियम 2.4 के अनुसार विभागीय प्राप्तियों को उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस को कोष में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। परन्तु हिमुडा निर्माण मण्डल के अधीन आवासीय बस्ती, संजौली से चयनित माह 8/2016 में विभिन्न आबंटियों से प्राप्त रख-रखाव व जल प्रभार की आय को मण्डल कार्यालय में विलम्ब से जमा करवाया गया था जो कि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है। अतः पाई गई अनियमितता बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाये तथा भविष्य में उक्त नियम की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित की जाए:-

वाउचर संख्या/ दिनांक	आबंटियों से प्राप्त प्रभार	अवधि	प्राप्त राशि (₹)	जमा की रसीद संख्या व दिनांक
14/3.8.2016	जल प्रभार	21.7.16 से 1.8.16	79,289	<u>0121409</u> 3.8.2016
	रख-रखाव प्रभार	23.7.16	8,734	
		<b>कुल</b>	<b>₹88,023</b>	

### (ii) ₹1.61 लाख की जल प्रभार की प्राप्त राशि से संबन्धित आबंटि की पुष्टि न होना

चयनित माह 8/2016 के वाउचर संख्या: 60, दिनांक 20.8.2016 का अवलोकन करने पर पाया गया कि आवासीय बस्ती संजौली से रसीद संख्या: 0121421, दिनांक 20.8.2016 के अन्तर्गत ₹1,61,060 जल प्रभार के रूप में प्राप्त हुई। परन्तु यह राशि किस आबंटि से किस अवधि के लिए प्राप्त हुई का कोई उल्लेख रसीद संख्या या अन्य प्रस्तुत अभिलेख में नहीं पाया गया जिसके अभाव में प्राप्त राशि की सही पुष्टि नहीं हो सकी। अतः इस सम्बन्ध उचित स्पष्टीकरण दिया जाये व अपेक्षित जानकारी जुटा कर अभिलेख में आवश्यक सुधार किया जाये। कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

### 8.3 आवासीय बस्तियों के रख-रखाव पर प्राप्ति से अधिक व्यय के कारण ₹38.37 लाख की हानि

निर्माण मण्डल की विभिन्न आवासीय बस्तियों के रख-रखाव शुल्क व किए गए व्यय से संबन्धित अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान रख-रखाव शुल्क की प्राप्ति की तुलना में अधिक व्यय किया गया था जिसके कारण निम्न विवरण अनुसार मण्डल को ₹38,37,297 की हानि हुई, जबकि नियमानुसार आय व व्यय का अनुपात समान होना चाहिए था। हालांकि वर्ष 2016-17 में आवासीय बस्ती संजौली फेज- I,II व III तथा नई आवासीय बस्ती ठियोग में इस प्रकार की कोई हानि नहीं पाई गई। इस प्रकार के प्रयास अन्य

आवासीय बस्तियों में भी किये जाने अपेक्षित हैं। अतः पाई गई वित्तीय हानि बारे तथ्यों सहित कारण स्पष्ट किया जाये व भविष्य में रख-रखाव पर व्यय की राशि को नियंत्रित किया जाना सुनिश्चित किया जाये:-

वर्ष	आवासीय बस्ती का नाम	रख-रखाव शुल्क की प्राप्ति	रख-रखाव पर व्यय	अधिक व्यय
2013-14	संजौली (फेज I, II & III)	336382	1326554	990172
	रोहड़ू	450701	667975	217274
2014-15	संजौली (फेज I, II & III)	333840	334528	688
	रोहड़ू	119633	264485	144852
2015-16	संजौली (फेज I, II & III)	388742	1386151	997409
	रोहड़ू	200250	1281102	1080852
2016-17	रोहड़ू	766458	1172508	406050
<b>योग</b>				<b>3837297</b>

#### 8.4 आवासीय बस्तियों के जल प्रभार की प्राप्ति से अधिक व्यय के कारण ₹3.77 की हानि

निर्माण मण्डल की विभिन्न आवासीय बस्तियों के जल प्रभार व किए गए व्यय से संबन्धित अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि वर्ष 2014-15 व 2016-17 के दौरान आबंटियों से जल प्रभार की प्राप्ति की तुलना में अधिक व्यय किया गया था जिसके कारण निम्न विवरण अनुसार मण्डल को ₹3,77,273 की हानि हुई, जबकि नियमानुसार आय व व्यय का अनुपात समान होना चाहिए था। अतः पाई गई वित्तीय हानि बारे तथ्यों सहित कारण स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में रख-रखाव पर व्यय की राशि को नियंत्रित किया जाना सुनिश्चित किया जाये:-

वर्ष	आवासीय बस्ती का नाम	आबंटियों से जल प्रभार की प्राप्ति	जल प्रभार बिलों का नगर निगम को किया गया भुगतान व अन्य विविध व्यय	अधिक व्यय
2014-15	संजौली (फेज I, II & III)	244943	282846	37903
2015-16	संजौली (फेज I, II & III)	894330	1124122	229792
2016-17	संजौली (फेज I, II & III)	805345	914923	109578
<b>योग</b>				<b>₹377273</b>

#### 8.5 रख-रखाव प्रभार के शेष ₹0.22 लाख को अभिलेख में न दर्शाना

आवासीय बस्ती रोहड़ू के रख-रखाव प्रभार रजिस्टर के पृष्ठ-56 का अवलोकन करने पर पाया गया कि श्री जगदीश चन्द, पुत्र श्री सीता राम को आबंटित HIG-I, Plot No. 100, Area 135 sqm से दिनांक 31.3.2017 तक ₹21,834 रख-रखाव प्रभार के रूप में वसूल की जानी अपेक्षित थी। इस राशि में ₹19,153 रख-रखाव प्रभार व 14% दण्ड ब्याज ₹2,681 शामिल है। परन्तु गलत गणना के कारण इस राशि को शून्य दर्शाया गया था। अतः पाई गई वित्तीय अनियमितता बारे तथ्यों सहित कारण स्पष्ट किया जाये व इस लम्बित देय राशि को आबंटी से वसूली उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

## 8.6 एस०डी०ए० मिशन हाई स्कूल, रोहड़ू से रख-रखाव प्रभार के रूप में ₹0.30 लाख की बसूली न करना

आवासीय बस्ती रोहड़ू के रख-रखाव रजिस्टर का अवलोकन करने पर पाया गया कि इसके पृष्ठ-118 पर हिमुडा द्वारा स्टेडियम रोड़ स्माला, रोहड़ू में 1216.56 वर्ग मीटर का प्लॉट/जमीन India Financial Association of Seventh Day Adventists SDA Mission High School नामक संस्था को दिनांक 29.4.2005 को आबंटित/बेची गयी। परन्तु अन्य आबंटियों की भांति उक्त संस्था से दिनांक 29.4.2005 से 31.3.2017 तक कोई भी रख-रखाव की राशि बसूल नहीं की गयी थी जिसकी अब गणना करके बसूली की जानी सुनिश्चित की जाये। वर्ष 2016-17 के दौरान ही उक्त संस्था से ₹30,414 (1216.56 वर्ग मी० x `25 प्रति वर्ग मी०) + सेवा कर व दण्ड ब्याज की राशि सहित वसूल की जानी अपेक्षित थी। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 22, दिनांक 2.1.2018 के प्रतिउत्तर में मौखिक चर्चा के दौरान मण्डल द्वारा इस तथ्य को स्वीकारा गया तथा नियमानुसार शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने बारे सूचित किया गया। अतः कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को यथासमय अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

## 9 विश्राम गृह शिमला (बी०सी०एस०) से आय की तुलना में अत्यधिक व्यय

हिमुडा निर्माण मण्डल के अधीन विश्राम गृह शिमला (बी०सी०एस०) के आय व व्यय से संबन्धित अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि विश्राम गृह से प्राप्त आय की तुलना में अधिक व्यय किया गया था। वर्ष 2015-16 व 2016-17 के दौरान विश्राम गृह से प्राप्त आय की तुलना में अधिक व्यय हुआ जैसा कि निम्न सारणी से ज्ञात होता है। अतः सुझाव दिया जाता है कि व्यय को नियंत्रित करने व आय को बढ़ाने हेतु शीघ्र ठोस प्रयास किये जाने सुनिश्चित किये जायें ताकि उक्त सम्पत्ति हिमुडा के लिये आय का साधन बन सके। अतः यह प्रकरण उच्च अधिकारियों के समक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है:-

वर्ष	आय	व्यय	अधिक व्यय	व्यय की तुलना में आय का प्रतिशत
2015-16	64,610	8,10,133	7,45,523	7.98%
2016-17	63,710	18,01,882	17,38,172	3.54%

**10 प्रशासनिक प्रभार की प्राप्ति की तुलना में वेतन व भत्तों पर ₹334.25 लाख का अधिक व्यय**

निर्माण मण्डल के लेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि मण्डल द्वारा वर्ष 2015-16 व 2016-17 के दौरान निष्पादित निर्माण कार्यों से प्राप्त प्रशासनिक प्रभार की तुलना में वेतन एवं भत्तों पर ₹3,34,25,387 का निम्न विवरणानुसार अधिक व्यय किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि मण्डल की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। अतः यह प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु हिमुडा के उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है:-

वर्ष	स्थापना (वेतन व भत्ते) पर व्यय (₹)	प्रशासनिक प्रभार की प्राप्त राशि (₹)	प्राप्ति की तुलना में अधिक व्यय (₹)
2015-16	2,91,87,651	1,19,02,140	1,72,85,511
2016-17	2,70,39,092	1,08,99,216	1,61,39,876
		<b>योग</b>	<b>₹3,34,25,387</b>

**11 विभिन्न आवासीय बस्तियों के रख-रखाव प्रभार पर प्राप्त सेवाकर ₹2.84 लाख का पृथक न दर्शा कर रख रखाव प्रभार में सम्मिलित करके दर्शाना**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि “स्थापना खाता बही” पृष्ठ-178 के अनुसार मण्डल कार्यालय को रख-रखाव खाते में वर्ष 2016-17 में आवासीय बस्ती संजौली व रोहडू से दिनांक 31.3.2017 तक कुल ₹21,80,132 रख-रखाव प्रभार के रूप में प्राप्त हुई। उक्त बस्तियों के आबंटियों की खाता बहियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त राशि में 15% की दर से सेवा कर (Service Tax) की राशि भी शामिल थी जिसे “सेवा कर” के खाते में जमा नहीं किया गया था। अतः इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दिया जाये तथा सेवाकर व ₹2,84,365 [(2180132/115)x(100)-2180132] की राशि को रख-रखाव खाते से निकाल कर “सेवा कर” के खाते में हस्तांतरित किया जाये तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

**12 संविदाकारों के धरोहर/प्रतिभूति ( Earnest Money/Security) खातों की नवीनतम सूचना प्रस्तुत न करना**

संविदाकारों के वर्ष 2016-17 के धरोहर/प्रतिभूति खातों का अवलोकन करने पर पाया गया कि इनमें गत वर्षों के अन्त शेषों को carry over/शामिल नहीं किया गया था जिसके अभाव में यह स्पष्ट न हो सका कि इन खातों में कोई डेबिट शेष तो नहीं है क्योंकि गत वर्षों में इस प्रकार के प्रकरण पाये गए थे जिनमें संविदाकारों की धरोहर/प्रतिभूति की जमा राशि से अधिक राशि का भुगतान कर दिया गया था। परिशिष्ट-“ड” पर भी केवल वर्ष 2016-17 से संबन्धित सूचना प्रस्तुत की गई है जिससे नवीनतम डेबिट/क्रेडिट शेषों की पुष्टि नहीं होती है। अतः पाई गई त्रुटि

बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाये तथा उक्त खातों में गत शेषों को carry over करके इनकी नवीनतम स्थिति तैयार की जाये तदनुसार अपेक्षित अनुपालना अंकेक्षण में दिखाई जाये।

## 12.1 संविदाकारों के डिपॉजिट खातों (Deposit Accounts) की सूचना प्रस्तुत न करना

संविदाकारों के डिपॉजिट खाते के अवलोकन करने पर पाया गया कि इसमें दिनांक 31.3.2017 को ₹34,56,887 विभिन्न कारणों से जमा रखी गई थी। परन्तु व्यक्तिगत संविदाकारों की कोई सूची में प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में यह स्पष्ट न हो सका कि किसी संविदाकार के खाते में कोई डेबिट शेष तो नहीं है क्योंकि गत वर्षों में इस प्रकार के प्रकरण प्रकाश में आ चुके हैं जहां पर संविदाकार की डिपॉजिट राशि से अधिक राशि का भुगतान उसे कर दिया गया। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 15, दिनांक 19.12.2017 का कोई भी प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया जो कि आपत्तिजनक है। अतः वांछित सूचना प्रस्तुत न करने बारे उचित स्पष्टीकरण दिया जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी संविदाकार के खाते का कोई डेबिट शेष तो नहीं है। कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

## 12.2 कालातीत धरोहर/प्रतिभूति राशि की सूचना प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 05, दिनांक 14.11.2017 द्वारा CPWD Works Manual Volume II के नियम 23.10 के अन्तर्गत दिनांक 31.3.2017 तक संविदाकारों की कुल कालातीत प्रतिभूति से संबन्धित सूचना मांगी गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर/सूचना मण्डल कार्यालय द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी उक्त प्रकरण प्रकाश में लाया गया था परन्तु मण्डल कार्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी अपेक्षित सूचना तैयार नहीं की गई। अतः पुनः सुझाव दिया जाता है कि नियमानुसार समस्त कालातीत प्रतिभूति की जानकारी जुटाकर भविष्य हेतु अभिलेख तैयार किया जाये जिसमें समय-2 पर नवीनतम स्थिति सम्मिलित की जाये ताकि इस प्रकार की राशि, यदि कोई हो, को जप्त करके निर्माण मण्डल की विविध आय में शामिल किया जा सके। कृत कार्यवाही से अंकेक्षण भी को अवगत करवाया जाये।

## 13 विभिन्न खातों के दिनांक 31.3.2017 के शेष अनियमित प्रकार से Debit या Credit में पाया जाना

### (i) ₹9.89 लाख का विभिन्न लेखा शीर्षों/खातों में डेबिट शेष पाया जाना

अंकेक्षण के दौरान खाता बहियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2017 को निम्न वर्णित लेखा शीर्षों में डेबिट शेष पाया गया:-

क्रम सं०	लेखा शीर्ष	स्थापना खाता बही पृष्ठ	दिनांक 31.3.17 को डेबिट शेष (₹)
1.	CPF Subscription A/C	189	7,68,562
2.	GPF Subscription A/C	196	72,674
3.	Income Tax A/C	222	1,47,990

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि इन खातों में देय (Credit) राशि से अधिक राशि कर्मचारियों/आयकर विभाग के खातों में भुगतान (Debit) की गयी जो कि अनियमित व आपत्तिजनक है, जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए।

**(ii) ₹19.69 लाख का Salary Payable खाते में क्रेडिट शेष पाया जाना**

अंकेक्षण के दौरान खाता बहियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2017 को निम्न वर्णित लेखा शीर्ष में क्रेडिट शेष पाया गया:-

क्रम सं०	लेखा शीर्ष	स्थापना खाता बही पृष्ठ	दिनांक 31.3.17 को क्रेडिट शेष (₹)
1.	Salary Payable A/C	81	19,68,533

उपरोक्त सारणी से प्रतीत होता है कि दिनांक 31.3.2017 तक इस खाते में विभिन्न कर्मचारियों के वेतन की राशि ₹19,68,533 जमा (Credit) पड़ी है जिसे दिनांक 31.3.2017 तक उनको भुगतान (Debit) नहीं किया गया था या इस खाते में सही प्रकार से राशियों का समायोजन नहीं किया जा रहा है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 20, दिनांक 1.1.2018 का कोई भी प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया जो कि आपत्तिजनक है। अतः पाई गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में पूर्ण छानबीन उपरान्त तथ्यों सहित वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाये तदानुसार खातों में आवश्यक सुधार करके अपेक्षित अनुपालना को भी अवगत करवाया जाये।

**14 ₹9.46 लाख की भण्डार मदों का विगत कई वर्षों से उपयोग न करना**

स्टॉक लेखों में अन्तशेष की जाँच करने पर पाया गया कि हिमुडा निर्माण मण्डल-I द्वारा उपलब्ध करवाए गए निर्माण सामग्री विवरण अनुसार ₹9,45,694.26 की सामग्री जिसका विवरण परिशिष्ट-“च” पर दिया गया है विगत कई वर्षों से शेष दर्शाई गई थी। अतः अनेक वर्षों से निर्माण सामग्री का उपयोग न करने का कारण स्पष्ट करते हुये इन भण्डार मदों का प्रत्यक्ष सत्यापनोपरान्त आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

**15 तकनीकी कर्मचारियों का गलत वेतन वेतन निर्धारण करने के कारण ₹0.51 लाख का अधिक भुगतान करना**

कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं के अंकेक्षण पर पाया गया कि निम्न वर्णित तकनीकी कर्मचारियों को “सुनिश्चित जीविका प्रगतिशील जीवन योजना” के अंतर्गत 4-9-14 के लाभ प्रदान करके वेतन निर्धारण किया गया। चूंकि इन कर्मचारियों को उक्त योजना लागू नहीं है जिसके कारण इनका वेतन पुनः निर्धारित किया गया जो कि उक्त योजना के अंतर्गत निर्धारित वेतन से कम था। परिणामस्वरूप कर्मचारियों को दिनांक 31.3.2017 तक ₹51,304 के वेतन का संभावित अधिक भुगतान किया गया। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 08,

दिनांक 15.11.2017 के प्रतिउत्तर में अधिशाषी अभियन्ता द्वारा चर्चा के दौरान तथ्यों को स्वीकार करते हुये अपेक्षित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया। अतः अधिक भुगतान की राशि को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी वसूली महंगाई भत्ते व मकान किराया भत्ता इत्यादि को जोड़ कर की जाये व अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये:-

(1) Sh. Jagdish Chand, Work Inspector (Now Technician Grade-II)									
Pay wrongly fixed after grant of ACPS after 4-9-14 years vide office order No. HIMUDA/PF/Jagdish Chand (W.I.)/-155, dated 3.12.2013									
Pay re-fixed vide office order No. HIMUDA/3-1051/01-Admin-27577, dated 20.2.2017									
Period	Months	Drawn after wrong grant of ACPS of 4-9-14 years vide order dated 3.12.2013			Due as per pay re-fixation order dated 20.2.2017			Diff.	Excess payment
		Band Pay	Grade Pay	Total	Band Pay	Grade Pay	Total		
9.8.12 to 31.8.12	0.74	11380	2400	13780	10570	1950	12520	1260	932
1.9.12. to 30.9.12	1	11380	2400	13780	10570	1950	12520	1260	1260
1.10.12 to 31.3.13	6	11380	2400	13780	10570	2800	13370	410	2460
1.4.13 to 31.3.14	12	11800	2400	14200	10980	2800	13780	420	5040
1.4.14 to 31.3.15	12	12230	2400	14630	11400	2800	14200	430	5160
1.4.15 to 31.3.16	12	12670	2400	15070	11830	2800	14630	440	5280
1.4.16 to 31.3.17	12	13130	2400	15530	12270	2800	15070	460	5520
Total									25652

उपरोक्त कर्मचारी को उक्त कार्यालय आदेश संख्या दिनांक 20.2.2017 द्वारा जूनियर टेकनीशियन पद की ग्रेड पे दिनांक 1.5.2012 से 2400 प्रदान की गयी जबकि वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या: FIN(PR)B(7)-64/2010, dated 27.9.2012 के अनुसार यह ग्रेड पे दिनांक 1.10.2012 से देय है। अतः उक्त कार्यालय आदेश सही किये जायें व अवधि 1.5.2012 से 30.9.2012 तक किए गये अधिक भुगतान (यदि कोई हो) की वसूली भी सुनिश्चित की जाये।

(2) Sh. Roshan Lal Negi, Work Inspector (Now Technician Grade-II)									
Pay wrongly fixed after grant of ACPS after 4-9-14 years vide office order No. HIMUDA/PF/Roshan Lal Negi(W.I.)/-1553, dated 3.12.2013									
Pay re-fixed vide office order No. HIMUDA: 3-1053/01-Admin-28080, dated 25.2.2017									
Period	Months	Drawn after wrong grant of ACPS of 4-9-14 years vide order dated 3.12.2013			Due as per pay re-fixation order dated 25.2.2017			Diff.	Excess payment
		Band Pay	Grade Pay	Total	Band Pay	Grade Pay	Total		

9.8.12 to 31.8.12	0.74	11380	2400	13780	10570	1950	12520	1260	932
1.9.12. to 30.9.12	1	11380	2400	13780	10570	1950	12520	1260	1260
1.10.12 to 31.3.13	6	11380	2400	13780	10570	2800	13370	410	2460
1.4.13 to 31.3.14	12	11800	2400	14200	10980	2800	13780	420	5040
1.4.14 to 31.3.15	12	12230	2400	14630	11400	2800	14200	430	5160
1.4.15 to 31.3.16	12	12670	2400	15070	11830	2800	14630	440	5280
1.4.16 to 31.3.17	12	13130	2400	15530	12270	2800	15070	460	5520
<b>Total</b>									<b>25652</b>

उपरोक्त कर्मचारी को उक्त कार्यालय आदेश संख्या दिनांक 25.2.2017 द्वारा जूनियर टेकनीशियन पद की ग्रेड पे दिनांक 1.12.2010 से ₹2400 प्रदान की गयी जबकि वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या: FIN(PR)B(7)-64/2010, dated 27.9.2012 अनुसार यह ग्रेड पे दिनांक 1.10.2012 से देय है। अतः उक्त कार्यालय आदेश सही किये जायें व अवधि 1.12.2010 से 30.9.2012 तक किए गये अधिक भुगतान (यदि कोई हो) की वसूली भी सुनिश्चित की जाये।

#### **15.1 श्रेणी-4 के कर्मचारी को 20 वर्ष की सेवा अवधि उपरांत अतिरिक्त वेतन वृद्धि का गलत लाभ प्रदान करके ₹0.26 लाख का अनियमित भुगतान**

कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं के अंकेक्षण पर पाया गया कि श्रेणी-4 कर्मचारी श्री वेद प्रकाश, चपड़ासी, जोकि श्रेणी-3 के वेतनमान में वेतन आहरण कर रहे थे, को कार्यालय आदेश संख्या: HIMUDA/PF/Ved Prakash, Peon/-922, दिनांक 18.7.2013 द्वारा 20 वर्ष की सेवा अवधि उपरांत एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया गया था जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है क्योंकि वित्त (विनियम) विभाग, हि० प्र० सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या: Fin(C)B(7)-3/2012 दिनांक 15.12.12 द्वारा जारी अनुदेश/स्पष्टीकरण अनुसार उक्त लाभ तभी देय होगा यदि सम्बन्धित कर्मचारी देयता तिथि को श्रेणी-4 के वेतनमान में ही वेतन आहरण कर रहा हो। इस अनियमितता के कारण निम्न विवरण अनुसार ₹0.26 लाख के वेतन का दिनांक 31.10.2017 तक अनियमित रूप से अधिक भुगतान हो चुका था। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 07, दिनांक 15.11.2017 के प्रतिउत्तर में अधिशाषी अभियन्ता द्वारा चर्चा के दौरान तथ्यों को स्वीकार करते हुये अपेक्षित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया। अतः अधिक भुगतान की राशि को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी वसूली महंगाई भत्ते व मकान किराया भत्ता इत्यादि को जोड़ कर की जाये तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

Period	Months	Drawn			Due			Diff.	Excess payment
		Band Pay	Grade Pay	Total	Band Pay	Grade Pay	Total		
1.8.12 to 31.3.13	8	11220	1900	13120	10830	1900	12730	390	3120
1.4.13 to 31.3.14	12	11620	1900	13520	11220	1900	13120	400	4800
1.4.14 to 31.3.15	12	12030	1900	13930	11620	1900	13520	410	4920
1.4.15 to 31.3.16	12	12450	1900	14350	12030	1900	13930	420	5040
1.4.16 to 31.3.17	12	12880	1900	14780	12450	1900	14350	430	5160
1.4.17 to 31.10.17	7	13330	1900	15230	12880	1900	14780	450	3150
<b>Total</b>									<b>26190</b>

## 16 कर्मचारियों के अवकाश खातों का सही रख-रखाव न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्रीमति प्रभा देवी, बेलदार की सेवा पुस्तिका के पृष्ठ-23 पर अवधि 16.2.2015 से 25.2.2015 तक 10 दिन की चिकित्सा आधार पर परिवर्तित अवकाश (Commuted leave) स्वीकृत किया गया परन्तु इसके बदले 20 दिन अर्ध-वेतन (Half Pay Leave) अवकाश खाते से नहीं घटाए गये थे जिसके सम्बन्ध में अब आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि उक्त कर्मचारी की सेवा पुस्तिका पृष्ठ-184 पर अवधि 16.2.2015 से 21.2.2015 तक 6 दिन का अर्जित अवकाश भी उनके Earned Leave खाते से घटाया गया था जिसकी कहीं स्वीकृति नहीं पाई गई। इससे स्पष्ट होता है कि परिवर्तित अवकाश अवधि में अर्जित अवकाश को भी स्वीकृत किया गया था जो कि अनियमित है क्योंकि किसी अमूक अवधि में एक ही अवकाश स्वीकृत होता है। अतः इस सम्बन्ध में पूर्ण छानबीन की जाए व उक्त दोनों अवकाश खाते तदानुसार सही किए जायें व अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

## 17 ₹3.19 लाख के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान बारे

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वर्ष 2016-17 के दौरान विभिन्न कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के रूप में कुल ₹318881 का भुगतान किया गया। इन दावों के भुगतान से पूर्व कर्मचारियों से “सयुक्त घोषणा पत्र” (यदि कर्मचारी की पति/पत्नी सरकारी/अर्ध-सरकारी/बोर्ड/कार्पोरेशन इत्यादि में कार्यरत है) तथा Medical Attendance Rules के अनुसार समय-2 पर “आश्रितों की सूची” प्राप्त की जानी अपेक्षित थी। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 03, दिनांक 13.11.2017 द्वारा उक्त प्रमाण पत्रों बारे सूचना मांगी गयी थी परन्तु अंकेक्षण को प्रस्तुत अभिलेख में केवल 18 कर्मचारियों की आधी/अधूरी सूचना पाई गई। अतः समस्त कर्मचारियों की

पूर्ण सूचना के अभाव में चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के उक्त भुगतान को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। अतः इस सम्बन्ध में उचित स्पष्टीकरण दिया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि उक्त भुगतान नियमानुसार प्रमाण पत्र प्राप्त करके ही किया गया था। तदनुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये:-

### 17.1 चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे में ₹0.03 लाख का अनियमित भुगतान

चयनित माह 8/2016 में चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की जांच करने पर पाया गया कि विभिन्न कर्मचारियों को निम्न विवरणानुसार ₹3,011 का अनियमित भुगतान किया गया। अतः किए गए अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये:-

क्रम सं०	वाउचर संख्या व दिनांक	कर्मचारी का नाम (सर्वश्री)	रोगी के साथ सम्बन्ध (सर्वश्री)	दवाई का नाम	राशि (₹)	टिप्पणी
1	15/3.8.16	राजेश कंवर	अक्षित (पुत्र)	Kidi care Pro-powder (Milk)	269	एलोपैथी में देय नहीं
2	15/3.8.16	कुशल शर्मा, सहायक अभियन्ता	स्वयं	Tab Cholestrol care	342	आयुर्वेदा में देय नहीं
3	61/20.8.16	विधि चन्द, कनिष्ठ अभियन्ता	पुष्पा वर्मा (पत्नी)	i Tab Alsarex	74.49	आयुर्वेदा में देय नहीं
				ii Cap Mintovit-L	79.88	
				iii Cap Vitalpha-C	148.09	
4	61/20.8.16	विधि चन्द, कनिष्ठ अभियन्ता	पुष्पा वर्मा (पत्नी)	i Tab Alsarex	83	आयुर्वेदा में देय नहीं
				ii Cap Vitalpha-C	55	
				iii Cap Mintovit-L	267	
				iv Cap Vitalpha-C	110	
5	61/20.8.16	वचित्र सिंह, वर्क इंस्पेक्टर	शकुंतला (पत्नी)	V-Wash 100 ml	160	एलोपैथी में देय नहीं
6	82/27.8.16	खेम राज, बेलदार	देवयांशु, पुत्र	i Tab Excell	373.50	चिकित्सक द्वारा दवाईयां नहीं लिखी गईं
				ii Tab Exudase	78.40	
				iii Becosules	14.19	
7	82/27.8.16	विश्वमित्र, बेलदार	मनोरमा, पत्नी	i Tab Zentel	18.43	आयुर्वेदा में देय नहीं
				ii Cap LYCO-L	157.96	
				iii Syp. ZNS	70.90	
				iv Lacto Calamine Lotion	143.60	
8	82/27.8.16	विश्वमित्र, बेलदार	मनोरमा, पत्नी	i Cap Meshoiron	99	आयुर्वेदा में देय नहीं
				ii R.B. Tone 200 ml	107	
				iii Cap Oresaft	360	
कुल					3011	

### 18 वाहन पर ₹4.70 लाख के व्यय को विभिन्न लेखा शीर्षों को प्रभारित (Charge) न करना

वाहन संख्या: एच०पी०-07सी-2649 (बोलेरो) की लॉग बुक का अवलोकन करने पर पाया गया कि वर्ष 2016-17 के दौरान वाहन के डीजल/ईंधन इत्यादि पर ₹4,70,049 का व्यय किया गया जिसे लॉग बुक में निम्न विवरणानुसार विभिन्न लेखा शीर्षों को प्रभारित (Debit) किया गया दर्शाया गया था। परन्तु वास्तव में मण्डल की खाता बहियों में इस प्रकार के व्यय की कोई भी प्रविष्टि नहीं पाई गई जो कि अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है तथा इससे लेखों की सही स्थिति परिलक्षित नहीं होती। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 21, दिनांक 1.1.2018 के प्रतिउत्तर में चर्चा के दौरान मण्डल द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुये शीघ्र अपेक्षित कार्यवाही करने बारे सूचित किया गया। अतः इस सम्बन्ध में शीघ्र अपेक्षित कार्यवाही करके लेखों में आवश्यक सुधार किया जाये तथा अंकेक्षण को भी तदानुसार सूचित किया जाना सुनिश्चित किया जाये:-

माह	विभिन्न निर्माण कार्यों को प्रभारित दर्शाई गई राशि (₹)	Office Contingency को प्रभारित दर्शाई गई राशि (₹)	कुल (₹)
7/2016	36166	3694	39860
8/2016	30289	7824	38113
9/2016	53259	15883	69142
10/2016	69950	6279	76229
11/2016	63870	3224	67094
12/2016	43821	9369	53190
1/2017	30584	11585	42169
2/2017	21927	5776	27703
3/2017	53863	2686	56549
<b>योग</b>	<b>403729</b>	<b>66320</b>	<b>470049</b>

### 18.1 वाहन में निर्धारित माप दण्डों से अधिक ईंधन उपयोग करने के कारण ₹0.02 लाख का अनियमित व्यय

हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग के पत्र संख्या फिन-1-(सी)14-1-92, दिनांक 27.5.2006 द्वारा राज्य मुख्यालय शिमला के वाहनों के लिए 70 लीटर प्रति वाहन प्रति माह की सीमा स्थानीय यात्रा हेतु निर्धारित की गई है। परन्तु वाहन संख्या: एच०पी०-07सी-2649 की लॉग बुक का अवलोकन करने पर पाया गया कि इस वाहन में प्रति माह 70 लीटर से अधिक डीजल का उपयोग किया गया जो कि उक्त दिशा-निर्देशों की अवहेलना है। परिणामस्वरूप निम्न विवरणानुसार ₹2,373 के ईंधन की अधिक खपत की गई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये व इसे न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा राशि की उचित स्रोत से वसूली उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

माह	स्थानीय यात्रा में उपयोग ईंधन (लीटर)	स्थानीय यात्रा हेतु ईंधन के उपयोग की निर्धारित सीमा (लीटर)	अधिक उपयोग (लीटर)	दर प्रति लीटर (₹)	अधिक व्यय (₹)
9/2016	83	70	13	53.06	690
12/2016	90	70	20	57.31	1146
1/2017	79	70	9	59.64	537
				कुल	₹2373

## 18.2 वाहन के ईंधन की औसत खपत (Mileage) निर्धारित न करना

वाहन संख्या: एच०पी०-07सी-2649 (बोलेरो) द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान 14008 किलो मीटर की यात्रा तय की गई जिसके लिए लगभग 1523 लिटर का उपयोग किया गया। परन्तु वाहन के ईंधन की औसत खपत से संबन्धित अभिलेख में कहीं भी नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त वाहन की लॉग बुक में यात्राओं के प्रारम्भ व समाप्ति का समय नहीं भरा गया था। अतः पाई गई अनियमितता/त्रुटियों बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई ईंधन की औसत खपत (कि०मी० प्रति लीटर) अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाये ताकि उक्त यात्रा को तदानुसार उचित ठहराया जा सके। इसके अतिरिक्त लॉग बुक में दर्शाई गई यात्राओं में समय को अंकित किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

## 18.3 वाहन की लॉग बुक प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण के दौरान अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि निर्माण मण्डल द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान निम्न विवरणानुसार दो वाहनों का उपयोग किया गया परन्तु वाहन संख्या एच०पी०-51-1245 (जिप्सी) की लॉग बुक आवश्यक जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 01, दिनांक 7.10.2017, 2, दिनांक 13.11.2017 तथा 15, दिनांक 19.12.17 का कोई भी प्रतिउत्तर अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया जो कि आपत्तिजनक है। अतः अंकेक्षण में अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे स्पष्टीकरण दिया जाये तथा संबन्धित अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये ताकि भविष्य में समय पर अंकेक्षण को अभिलेख प्रस्तुत हो सके। इसके अतिरिक्त उक्त लॉग बुक आगामी अंकेक्षण के दौरान आवश्यक रूप से जांच हेतु प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाये:-

क्रम संख्या	वाहन	पंजीकरण संख्या	वर्ष 2016-17 में उपयोग की अवधि	टिप्पणी
1	जिप्सी	एच०पी०-51-1245	1.4.16 से 19.8.16	दिनांक 19.8.16 को नीलाम
2	बोलेरो	एच०पी०-07सी-2649	4.7.16 से 31.3.17	-

## 19 “सेवा कर” व “स्वच्छ भारत सेस” ₹29.80 लाख का जमा / भुगतान न करना

मण्डल की खाता बहियों में दिनांक 31.3.2017 को ₹27,54,998 “सेवा कर” (Service Tax) तथा ₹2,24,783 “स्वच्छ भारत सेस” के रूप में जमा/क्रेडिट थी। यह राशियाँ नियमानुसार संविदाकारों के निर्माण कार्य बिलों से काटी गई थीं। परन्तु उक्त राशियाँ संबन्धित विभागों को प्रेषित/भुगतान नहीं की गई थीं। यह प्रकरण गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी प्रकाश में लाया गया था परन्तु मण्डल कार्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 16, दिनांक 21.12.2017 की अनुपालना में मण्डल द्वारा पत्र संख्या: 3596, दिनांक 23.12.2017 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त कटौतियों बारे त्रैमासिक आधार पर सूचना मुख्यालय, निगम विहार शिमला-02 को प्रेषित की जाती है तथा वहां से इन राशियों का संबन्धित विभागों को प्रेषण/भुगतान किया जाता है। अतः पुनः सुझाव दिया जाता है कि मुख्यालय से भुगतान से संबन्धित सूचना प्राप्त करके मण्डल कार्यालय की खाता बहियों में उक्त लेखों का आवश्यक समायोजन सुनिश्चित किया जाये तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

## 20 ₹11.37 लाख की स्टील के क्रय की दर संविदा (Rate Contract) का अभिलेख में न पाया जाना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि चयनित माह 8/2016 में भुगतान वाउचर संख्या 65, दिनांक 20.8.2016 द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹11,36,551 की स्टील का क्रय पुराने/समाप्त दर संविदा (Rate Contract) पर किया गया था जबकि आपूर्तिकर्ता द्वारा यह Undertaking (प्रतिलिपि परिशिष्ट-“छ” पर संलग्न है) दी गई कि नई दर संविदा (Rate Contract) आने पर अधिक प्राप्त राशि, यदि कोई हो, को लौटा दिया जाएगा। परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक नये दर संविदा (Rate Contract) की प्रति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिससे क्रय की गयी सामग्री को नियमित नहीं ठहराया जा सका। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 17, दिनांक 21.12.2017 के प्रतिउत्तर में मण्डल द्वारा पत्र संख्या 3697, दिनांक 29.12.2017 द्वारा तथ्यों को स्वीकारा गया। अतः अंकेक्षण में अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे तथ्यों सहित पूर्ण स्थिति स्पष्ट की जाये तदानुसार अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें:-

आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या/दिनांक	स्टील	मात्रा (एम०टी०)	दर (प्रति एम०टी०)	राशि (₹)
साबू टोर स्टील लि०, त्रिलोकपुर रोड, काला अम्ब-173030	शून्य/8.7.16 (Ref. No. 633-36, dated 3.6.2016)	12 एम०एम०	02.000	39807	79614
		16 एम०एम०	04.000	39807	159228
		20 एम०एम०	05.000	39807	199035
जोड़					437877
वैट 5%					21894
पी०जी०टी @ ₹75 प्रति एम०टी०					825
कुल जोड़					460596

आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या/दिनांक	स्टील	मात्रा (एम०टी०)	दर (प्रति एम०टी०)	राशि (₹)
साबू टोर स्टील लि०, त्रिलोकपुर रोड, काला अम्ब-173030	शून्य/8.7.16 (Ref. No. 637-40, dated 3.6.2016)	10 एम०एम०	12.000	40283	483396
		16 एम०एम०	04.000	39807	159228
जोड़					642624
वैट 5%					32131
पी०जी०टी @ ₹75 प्रति एम०टी०					1200
कुल जोड़					675955

## 21 चयनित माह 8/2016 के समायोजन वाउचरों के साथ पूर्ण विवरण संलग्न न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि चयनित माह 8/2016 से संबन्धित निम्न समायोजन वाउचरों के अन्तर्गत Estt. Expenses A/C को डेबिट करके तथा Salary Payable A/C and various Deductions A/Cs को क्रेडिट करके समायोजित किया गया था। परन्तु यह स्थापना व्यय किन-2 कर्मचारियों से संबन्धित था, का कोई भी विवरण/सूची प्रस्तुत अभिलेख में संलग्न नहीं थी। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 14, दिनांक 19.12.2017 के प्रतिउत्तर में मण्डल कार्यालय द्वारा मौखिक रूप से सूचित किया गया कि अपेक्षित विवरण शीघ्र ही अभिलेख में संलग्न कर दिया जाएगा। परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई जो कि अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है जिसके सम्बन्ध में उचित स्पष्टीकरण दिया जाये। इसके अतिरिक्त अपेक्षित विवरण समायोजन वाउचरों के साथ संलग्न करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जानी सुनिश्चित की जाये ताकि समायोजित व्यय को न्यायोचित ठहराया जा सके:-

समायोजन वाउचर संख्या व माह	डेबिट खाता	राशि	क्रेडिट खाता	राशि
12 of 8/2016	Estt. Expenses A/C	18,47,771	Various Deductions A/C Salary Payable A/C	5,10,169 13,37,602
13 of 8/2016	Estt. Expenses A/C	90,675	Various Deductions A/C Salary Payable A/C	60,060 30,615
14 of 8/2016	Menials Expenses A/C	1,240	CPF A/C Board Share A/C	620 620
15 of 8/2016	Estt. Expenses A/C	75,888	Board Share A/C	75,888
16 of 8/2016	Estt. Expenses A/C	1,34,895	Board Share A/C	1,34,895
17 of 8/2016	Estt. Expenses A/C	2,42,559	Various Deductions A/C Salary Payable A/C	60,659 1,81,900

18 of 8/2016	Estt. Expenses A/C	2,24,444	CPF A/C Salary Payable A/C	26,933 1,97,511
19 of 8/2016	Estt. Expenses A/C	69,992	CPF A/C Salary Payable A/C	8,399 61,593
20 of 8/2016	Estt. Expenses A/C	8,399	Board Share A/C	8,399
21 of 8/2016	Estt. Expenses A/C	26,933	Board Share A/C	26,933
	Total	27,22,796	Total	27,22,796

**22 वाउचर संख्या 44, दिनांक 9.8.2016, ₹25,39,370**

कार्य का नाम:- C/O PSFS at Sanjouli Phase-III, Shimla (SH: C/O 12 Nos. Cat-II Flats Block No. 5 & 23 and 6 Nos. Cat-III Flats Block 4-A)

संविदाकार:- M/S Him Engineers & Consultants

अनुबन्ध संख्या:- 19 वर्ष 2012-13

बिल:- 9वां चलत बिल

माप पुस्तिका संख्या:- 1829/15 (पृष्ठ 1 से 22)

Awarded राशि ₹2,83,70,518

**(i) RR masonry के कार्य में गलत गणना के कारण ₹0.03 लाख का अधिक भुगतान:-**

उपरोक्त निर्माण कार्य में माप-पुस्तिका संख्या: 1766/13 के पृष्ठ-100 पर मद संख्या 26 “RR masonry in foundation & plinth” की रिकॉर्ड प्रविष्टि में कार्य मात्रा की गलत गणना करने के कारण संविदाकार को निम्न विवरणानुसार ₹3,402 का अधिक भुगतान किया गया जिसे न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी उचित स्रोत से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये:-

आर०डी०	मात्रा जो ली गई	मात्रा जो बनती थी	अन्तर	भुगतान दर (₹)	अधिक भुगतान (₹)
0/17.75 से 0/19.15 (1.40 मीटर)	8.28 घन मी० (1.40+1.90/2)x (1.00+1.75/2)x 3.65	7.02 घन मी० (1.40+1.40/2)x (1.00+1.75/2)x 3.65	1.26 घन मी०	2700 प्रति घन मी०	3402

**(ii) Retaining wall के कार्य में गलत गणना के कारण ₹784 का अधिक भुगतान**

उपरोक्त निर्माण कार्य में माप-पुस्तिका संख्या: 1828/15 के पृष्ठ-19 पर मद संख्या: 7 “Providing and laying cement concrete 1:4:8 in foundation & plinth इन breast and

retaining walls” की कार्य मात्रा अधिक लेने के कारण ₹784 का अधिक भुगतान किया गया जिसे न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी उचित स्रोत से वसूली करके अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए

मात्रा जो ली गई (CC Bond की मात्रा जो RR Masonry से घटाई जानी थी)	मात्रा जो बनती थी (CC Bond की मात्रा जो RR Masonry से घटाई गई)	अन्तर	भुगतान दर (₹)	अधिक भुगतान (₹)
0.81 घन मी० (1x2.70x2.00x0.15)	0.53 घन मी० (1x2.70x1.31x0.15)	0.28 घन मी०	2800 प्रति घन मी०	784

(iii) ब्रिक वर्क की कार्य मात्रा से होल्ड फास्ट के लिये बनाये गये सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक की कार्य मात्रा को कम न करने के फलस्वरूप ₹0.10 लाख का अधिक भुगतान

उपरोक्त निर्माण कार्य में दरवाजों की फ्रेमों को लगाने के लिये आयरन के होल्ड फास्ट का प्रयोग व भुगतान किया गया। इन होल्ड फास्ट को लगाने हेतु 0.30x0.10x0.15एम०एम० के सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक बनाये गये थे जिन्हें लगाने हेतु अनुबन्ध की मद सं० 36 द्वारा 9वें चलत बिल तक माप पुस्तिका सं० 1829/15 पृष्ठ-11 पर कुल 384 होल्ड फास्ट के लिये भुगतान किया गया था। परन्तु इन होल्ड फास्ट हेतु डाली गयी सी०सी० ब्लॉक को माप पुस्तिका सं० 1829/15 पृष्ठ-9 में मद सं० 20 वस्तुतः ब्रिक वर्क से नहीं घटाया गया था जिसके परिणामस्वरूप निम्न गणना अनुसार संविदाकार को ₹9,504 का अधिक भुगतान किया गया। अतः संविदाकार को ₹9,504 के किये गये अधिक भुगतान बारे उचित स्पष्टीकरण दिया जाये व इसे न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी संविदाकार से वसूली करके अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

चलत बिल	माप पुस्तिका सं०	ब्रिक वर्क की कार्य मात्रा जो दो बार भुगतान की गयी (घन मी०)	दर प्रति घन मी० (₹)	अधिक भुगतान (₹)
9वां	1829/15	384x0.30x0.10x0.15=1.728	5500	9504

## 23 वाउचर संख्या 46, दिनांक 10.8.2016, ₹34,53,376

कार्य का नाम:-

Residential Complex below BCS, Phase-II, Sector-IV, New Shimla H.P. (SH: C/O 12 Nos. Cat-II Flats, Block No. 50-A and 50B i/c Internal water supply, Sanitary installation, Rain water harvesting Tank and Dev. of site

संविदाकार:-

श्री अरुण कुमार

अनुबन्ध संख्या:-

27 वर्ष 2013-14

Awarded राशि:-

₹3,13,64,526/-

बिल:-

8वां, 9वां तथा 10वां (विस्तृत जांच हेतु चयनित)

**(i) Approved Drawings के अनुसार स्टील वर्क सही प्रयोग न करने के कारण ₹0.28 लाख का अधिक भुगतान**

मद संख्या 68.2 ( Annexure-A) “Steel work welded in build up sections in gratings, framed guard, bars, ladders, railing, brackets and similar works” में P&F MS grills in wooden frames/pressed steel chowkhat of windows” में दिनांक 17.7.2014 को Approved Drawings के अनुसार अन्य स्टील वर्क के साथ MS Flat iron 40x5mm साइज में प्रयोग किया जाना अपेक्षित था जबकि इसके विपरीत 40x6mm का प्रयोग किया गया। परिणामस्वरूप उक्त मद को मीटर से किलो ग्राम में बदलने का गलत factor लगाया गया जिसके कारण संविदाकार को निम्न विवरणानुसार ₹28,318 का अधिक भुगतान किया गया। अतः पाई गई वित्तीय अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण दिया जाये अन्यथा इसकी उचित स्रोत से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये:-

माप पुस्तिका/पृष्ठ/ बिल संख्या	निष्पादित मात्रा	Conversion factor जो लगाया गया	Conversion factor जो लगाया जाना था	अन्तर	अधिक निष्पादित दर्शाई गई मात्रा (कि०ग्रा० या क्विंटल )	दर प्रति (प्रति क्विंटल) (₹)	अधिक भुगतान (₹)
1853/16 /पृष्ठ-28/9वां चलत बिल	75.16 कि०ग्रा० (39.56 Rmt x1.90 Kg per Rmt)	1.90 Kg Per Rmt	1.60 Kg Per Rmt	0.30 Kg Per Rmt	0.12 क्विंटल या 11.86 कि०ग्रा (39.56 Rmt x0.30 Kg per Rmt)	7200	864
1853/16 /पृष्ठ-49/10वां चलत बिल	1886.43 कि०ग्रा० (992.86 Rmt x1.90 Kg per Rmt)	1.90 Kg Per Rmt	1.60 Kg Per Rmt	0.30 Kg Per Rmt	2.978 क्विंटल या 297.85 कि०ग्रा (992.86 Rmt x0.30 Kg per Rmt)	7200	21442
1853/16 /पृष्ठ-58/10वां चलत बिल	529.24 कि०ग्रा० (278.55 Rmt x1.90 Kg per Rmt)	1.90 Kg Per Rmt	1.60 Kg Per Rmt	0.30 Kg Per Rmt	0.835 क्विंटल या 83.56 कि०ग्रा (278.55 Rmt x0.30 Kg per Rmt)	7200	6012
कुल							28318

**(ii) सीमेंट स्लरी की मद पर ₹0.17 लाख का अधिक भुगतान**

मद संख्या 20 (Annexure-A) “Applying cement slurry on RCC slab or cement concrete work using 2.75Kg. per square metre of floor area before laying cement concrete flooring” का निम्न वर्णित प्रकरण में उपयोग किया गया तथा इसके लिए संविदाकार को ₹16589 का भुगतान किया गया, परन्तु जिस माप पुस्तिका के पृष्ठ पर

इस मद की Record Entry दर्शाई गई थी, वह खाली था जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा ₹16589 की वसूली उचित स्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए

माप पुस्तिका/संख्या	पृष्ठ	चलत बिल	निष्पादित मात्रा (वर्ग मी०)	दर प्रति वर्ग मी० (₹)	अधिक भुगतान (₹)	अभियुक्ति
1852/16	93	10वां	331.78	50	16589	Record entry में दर्शाया गया कि यह मात्रा माप पुस्तिका संख्या 1853 पृष्ठ-90 से ली गई है। परन्तु उक्त पृष्ठ पर कोई मद निष्पादित नहीं हुई थी तथा सारा पृष्ठ खाली था। इस प्रकार दर्शाई गई मात्रा गलत है।
					16589	

**(iii) गलत conversion factor उपयोग करके ₹0.04 लाख का अधिक भुगतान:-**

मद संख्या 38 (Annexure-A) “P&F MS grills in wooden frames/pressed steel chowkhat of windows” में मद की मात्रा को चलत मीटर से किलो ग्राम में बदलने हेतु गलत conversion factor उपयोग किया गया जिसके कारण निम्न विवरणानुसार संविदाकार को ₹4,009 का अधिक भुगतान किया गया। अतः पाई गई अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण दिया जाये तथा अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी उचित स्रोत से वसूली करके अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

माप पुस्तिका/पृष्ठ/बिल संख्या	निष्पादित मात्रा	Conversion factor जो लगाया गया	वास्तविक Conversion factor	अन्तर	अधिक निष्पादित दर्शाई गई मात्रा (कि०ग्रा०)	दर प्रति (प्रति कि०ग्रा०)	अधिक भुगतान (₹)
1853/16 / पृष्ठ-45/10वां चलत बिल	2126.91 कि०ग्रा० (2658.64 Rmt x0.80 Kg per Rmt)	0.80 Kg Per Rmt	0.78 Kg Per Rmt	0.02 Kg Per Rmt	53.17 कि०ग्रा० (2658.64 Rmt x0.02 Kg per Rmt)	75	3988
1853/16 / पृष्ठ-58/10वां चलत बिल	11.02 कि०ग्रा० (13.77 Rmt x0.80 Kg per Rmt)	0.80 Kg Per Rmt	0.78 Kg Per Rmt	0.02 Kg Per Rmt	0.28 कि०ग्रा० (13.77 Rmt x0.02 Kg per Rmt)	75	21
						<b>योग</b>	<b>4009</b>

**(iv) Manhole की मद को अधिक निष्पादित करने के कारण ₹0.60 लाख का अधिक भुगतान**

मद संख्या 36 ( Annexure-B) “Constructing manhole with RCC top slab in 1:2:4 etc. with all leads & lifts” हेतु अनुबन्ध अनुसार केवल 6 मैनहोल का निर्माण किया जाना अपेक्षित था परन्तु इसके विपरीत 10वें चलत बिल तक 12 मैनहोल का निर्माण किया जा चुका था। इस प्रकार की मद में इतना अधिक विचलन करने बारे अभिलेख में कोई भी औचित्य स्पष्ट नहीं किया गया था जो कि उचित प्रतीत नहीं होता। परिणामस्वरूप संविदाकार को निम्न विवरणानुसार संविदाकार को ₹60,000 का अनुचित प्रकार से अधिक भुगतान किया गया जिसे न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी उचित स्रोत से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये:-

माप पुस्तिका/पृष्ठ	अनुबन्ध अनुसार जो मात्रा निष्पादित की जानी थी	वास्तव में निष्पादित मात्रा	अन्तर	दर	अनुचित भुगतान (₹)
1857/16 पृष्ठ-51	6 Nos.	12 Nos.	6 Nos.	10,000 each	60,000

**(v) सीवरेज पाइप की अधिक मात्रा निष्पादित करने के कारण ₹0.22 लाख का अधिक भुगतान**

मद संख्या 3 (Annexure-A) “Excavation in drains and channels in earth work of all kinds” के अन्तर्गत 8वें चलत बिल में ब्लॉक न० 50-B में सीवरेज लाइन बिछाने हेतु माप पुस्तिका संख्या 1824 पृष्ठ-95 अनुसार Manholes के बीच में 11.85 घन मीटर की खुदाई की गई जिसकी कुल लम्बाई 45.59 मीटर थी। परन्तु मद संख्या 8 ( Annexure-B) “Providing and laying in trenches centrifugally cast (spun) iron socket and spigot pipes” के अन्तर्गत उक्त खुदाई की लम्बाई 45.59 मीटर के स्थान पर 54.85 मीटर सीवरेज पाइप बिछाई गई। अतः 9.26 मीटर (54.85-45.59) पाइप को खुदाई से अधिक निष्पादित किया गया जो कि अनियमित प्रतीत होता है। परिणामस्वरूप संविदाकार को निम्न विवरणानुसार ₹22,224 का अधिक भुगतान किया गया जिसके सम्बन्ध में तथ्यों सहित पूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाये तथा इसे न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी उचित स्रोत से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये:-

माप पुस्तिका/पृष्ठ	मद संख्या 3 (Annexure-A) के अन्तर्गत खुदाई की लम्बाई	मद संख्या 8 (Annexure-B) के अन्तर्गत डाली गई सीवरेज पाइप	अन्तर	सीवरेज पाइप की भुगतान दर	अनुचित भुगतान
1852/16, पृष्ठ-31	45.59	54.85	9.26 मीटर	2400	22,224

(Abstract of cost)	मीटर	मीटर		प्रति मीटर
--------------------	------	------	--	------------

**(vi) अनुबन्ध की Clause 10-C के अन्तर्गत ₹0.31 लाख के भुगतान का विवरण प्रस्तुत न करने बारे**

माप पुस्तिका संख्या 1852/16 पृष्ठ 86 (Abstract of cost) अनुसार 9वें चलत बिल में संविदाकार को अनुबन्ध की Clause 10-C के अन्तर्गत कुल ₹63,904 (Annexure-A हेतु ₹32470.59 तथा Annexure-B हेतु ₹31,433) का भुगतान किया गया। उक्त बिल के भुगतान वाउचर संख्या 75 दिनांक 25.10.2016 में संलग्न अन्य विवरण के साथ Annexure-A हेतु किये गए ₹32470.59 के भुगतान की विस्तृत गणना शीट भी संलग्न थी परन्तु Annexure-B हेतु ₹31,433 के भुगतान की विस्तृत गणना शीट इत्यादि संलग्न नहीं थी। अपेक्षित अभिलेख के अभाव में ₹31,433 के भुगतान की अंकेक्षण में पुष्टि नहीं हो सकी। अतः अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

**(vii) ब्रिक वर्क की कार्य मात्रा से होल्ड फास्ट के लिये बनाये गये सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक की कार्य मात्रा को कम न करने के फलस्वरूप ₹0.23 लाख का अधिक भुगतान**

उपरोक्त निर्माण कार्य में दरवाजों की फ्रेमों को लगाने के लिये आयरन के होल्ड फास्ट का प्रयोग व भुगतान किया गया। इन होल्ड फास्ट को लगाने हेतु 0.30x0.10x0.15 एम०एम० के सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक बनाये गये थे जिन्हें लगाने हेतु अनुबन्ध की मद सं० 39 द्वारा 10वें चलत बिल तक माप पुस्तिका सं० 1857/16 पृष्ठ-19 पर कुल 920 होल्ड फास्ट के लिये भुगतान किया गया था। परन्तु इन होल्ड फास्ट हेतु डाली गयी सी०सी० ब्लॉक को माप पुस्तिका सं० 1857/16 पृष्ठ-12 में मद सं० 23 वस्तुतः ब्रिक वर्क से नहीं घटाया गया था जिसके परिणामस्वरूप निम्न गणना अनुसार संविदाकार को ₹22,770/- का अधिक भुगतान किया गया। अतः संविदाकार को ₹22,770/- के किये गये अधिक भुगतान बारे उचित स्पष्टीकरण दिया जाये व इसे न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी संविदाकार से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये:-

चलत बिल	माप पुस्तिका सं०	ब्रिक वर्क की कार्य मात्रा जो दो बार भुगतान की गयी (घन मी०)	दर प्रति घन मी० (₹)	अधिक भुगतान (₹)
10वां	1857/16	920x0.30x0.10x0.15=4.14	5500	22,770

**(viii) संविदाकार के टेंडर की मद की दर में कटिंग होने के कारण ₹0.41 लाख का संभावित अधिक भुगतान**

संविदाकार के टेंडर की मद संख्या 58 की Item Rate का प्रथम दृष्टि अवलोकन करने पर पाया गया कि वास्तव में इसे अंकों में Rs.900 तथा शब्दों में (Rs. Eight hundred) भरा गया था। सी०पी०डबल्यू०डी० खण्ड-II के पैरा 20.1.13.4.2 के अनुसार यदि संविदाकार द्वारा अंकों

व शब्दों में भरी गई दरों में कोई अन्तर हो तो शब्दों में भरी गई दरों को ही सही माना जायेगा। चूंकि शब्दों में भरी गई कम दर (Rs. Eight hundred) ही स्वीकृत होनी थी इसलिए अंकों व शब्दों में कटिंग/ओवरराइटिंग करके इसे Rs.890 व (Rs. Eight hundred) ninety किया गया। इसके अतिरिक्त टेंडर ओपनिंग रजिस्टर के पृष्ठ-18 पर भी केवल अंकों में दर्ज दर को कटिंग करके Rs.900 से Rs.890 किया गया। सी०पी०डब्ल्यू०डी० खण्ड-II के पैरा 20.1.2 के अनुसार इन तथ्यों की अपेक्षित पुष्टि टेंडर ओपेनिंग अधिकारी द्वारा भी नहीं की गयी थी। परिणामसारूप संविदाकार को `41,030 का अनुचित लाभ पहुंचाया गया प्रतीत होता है जिसका विवरण नीचे दिया गया है। अतः इस सम्बन्ध में नियमानुसार तथ्यों सहित उचित स्पष्टीकरण दिया जाए अन्यथा इसकी उचित स्रोत से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये:-

मद संख्या	मद का नाम	टेंडर में Item Rate जो भरा गया था (प्रति वर्ग मी०)	कटिंग/ओवर राइटिंग उपरान्त दर्शाई गई दर (प्रति वर्ग मी०)	शब्दों में दर्शाई गई राशि में अन्तर (प्रति वर्ग मी०)	दसवें चलत बिल तक निष्पादित कार्य मात्रा वर्ग मी०	संभावित अधिक भुगतान
58 (Annexure-A)	Providing & fixing 0.60mm thick prepainted steel sheet in roofing with hot dipped metallic zinc etc.	Rs. 900 (Rs. Eight hundred)	Rs. 890 (Rs. Eight hundred ninety)	90	455.89 (माप पुस्तिका संख्या 1857/16 पृष्ठ-27)	41030

### (ix) गलत गणना के कारण ₹0.01 लाख का अधिक भुगतान

संविदाकार को निम्न विवरणानुसार गलत गणना के कारण ₹1,096 का अधिक भुगतान किया गया जिसे या तो न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी उचित स्रोत से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये:-

	माप पुस्तिका संख्या व पृष्ठ	मद व निष्पादित मात्रा	दर (₹)	भुगतान की गई राशि	भुगतान जो बनता था	अधिक भुगतान
1	1857/16 पृष्ठ 32 (10वां चलत बिल)	Item No. 69 (Annexure-A) P/F in position collapsible steel shutter etc. in all leads & lifts (8 Nos Shutters)	4000 Per Shutter	32160	32000 (8x4000)	160
2	माप पुस्तिका संख्या व पृष्ठ तथा मद	निष्पादित मात्रा जो ली गई	निष्पादित मात्रा जो ली जानी थी	अंतर	दर	अधिक भुगतान

1824 पृष्ठ-75 व 1852/16 पृष्ठ-9 (8 वां चलत बिल) Item No. 16.1 (Annexure-A) P/L cement concrete having strength of M- 20	0.89 cum (1x11.90x0.75x0.10)	0.71 cum (1x11.90x0.60x0.10) क्योंकि मद संख्या 4 में खुदाई 0.60 मीटर की चौड़ाई में ही की गई थी जैसे (1x11.90x0.60x0.45)	0.18 cum	5200 P/cum	936
				कुल	1096

### (x) विभागीय न्यायोचितता (Departmental Justification) प्रस्तुत न करना

उपरोक्त वर्णित विस्तृत जांच हेतु चयनित निर्माण कार्य के Rates की Final comparative-cum-justification statement अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गयी जिसके अभाव में अंकेक्षण में उक्त संविदाकार की दरों की विभागीय न्यायोचितता (Justification) की दरों से तुलनात्मक जांच नहीं की जा सकी। अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 18, दिनांक 30.12.2017 का मण्डल कार्यालय द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई लिखित प्रतिउत्तर नहीं दिया जो कि अनियमित है जिसके सम्बन्ध में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए उक्त आपत्तियों का निपटारा करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

#### 24 वाउचर संख्या 68, दिनांक 20.8.2016, ₹4,96,270

कार्य का नाम:-	Renovation of HP State Cooperative Bank, Branch Dhalli, Shimla (SH:Renovation work i/c cash counter and internal WS & SI)
संविदाकार:-	श्री धर्म प्रकाश
अनुबन्ध संख्या:-	22 वर्ष 2015-16
बिल:-	तीसरा चलत बिल
माप पुस्तिका संख्या:-	1784/14 (पृष्ठ 35 से 72)
Awarded राशि:-	₹25,60,278

(i) उपरोक्त निर्माण कार्य के तीसरे चलत बिल में मद संख्या 18 ( i) व (ii) के अंतर्गत Aluminium की 82.35 किलो ग्राम कार्य मात्रा का निष्पादन किया गया जिसके लिये निम्न विवरणानुसार ₹53,528 का भुगतान किया गया। परन्तु Aluminium को मीटर से किलो ग्राम में बदलने सम्बन्धी conversion factors अभिलेख में संलग्न नहीं थे जिससे किलो ग्राम में निष्पादित कार्य मात्रा की पुष्टि नहीं हो सकी। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 23, दिनांक

2.1.2018 के प्रतिउत्तर में मण्डल कार्यालय द्वारा चर्चा के दौरान अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि कार्य स्थल पर Aluminium का weight करके वास्तविक conversion factors लगाये गये थे। परन्तु इस सम्बन्ध में Site Order Book अथवा अन्यत्र कहीं पर भी इन conversion factors को सहायक/अधिशायी अभियन्ता द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसके सम्बन्ध में तथ्यों सहित पूर्ण स्पष्टीकरण दिया जाये। इसके अतिरिक्त सक्षम अधिकारी द्वारा कार्य स्थल में मौके पर सत्यापित Conversion Factors से संबन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि किए गए भुगतान को न्यायोचित ठहराया जा सके:-

मद सं०	मद का नाम	माप पुस्तिका/पृष्ठ	Running Metres में मात्रा	Conversion factor जो लगाया गया (Kg. P/Rmt.)	निष्पादित मात्रा (किलो ग्राम)	दर प्रति किलो ग्राम	भुगतान राशि
18(i)	P/F anodized aluminium work for doors, windows	1784/14 Page-43	23.65 Rmt	2.40 (Section 100x45mm)	56.76	650	36894
18(i)	P/F anodized aluminium work for doors, windows	1784/14 Page-43	10.98 Rmt	1.980 (for section 85.45mm)	21.74	650	14131
			55.04 Rmt	0.0650 (for beading 20mm)	3.58	650	2327
			5.32 Rmt	0.050 (U moulding)	0.27	650	176
<b>योग</b>					<b>82.35 Kg</b>		<b>53528</b>

(ii) उपरोक्त निक्षेप कार्य (Deposit Work) के निर्माण के तीसरे चलत बिल में निम्न विवरणानुसार पाँच अतिरिक्त मदों (Extra Items) का निष्पादन किया गया जिसके लिये ₹1,30,331 का भुगतान किया गया। अतिरिक्त मदों (Extra Items) की विवरणी अनुसार “These items were not taken in the original estimate, but at the time of execution, the necessity of fixing of these items felt and as per the direction/consent of the bank authority” टिप्पणी दर्ज थी। परन्तु अंकेक्षण को प्रस्तुत अभिलेख में उपरोक्त मदों के निष्पादन से पूर्व बैंक अथॉरिटी से कोई भी लिखित स्वीकृति संलग्न नहीं थी। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 23, दिनांक 2.1.2018 का मण्डल कार्यालय द्वारा कोई भी प्रतिउत्तर नहीं दिया गया जो कि आपत्तिजनक है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये तदानुसार अपेक्षित स्वीकृति अंकेक्षण में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित किया जाये ताकि उपरोक्त व्यय को उचित ठहराया जा सके:-

क्रम सं०	Extra Item का नाम	निष्पादित मात्रा	दर (₹)	भुगतान राशि (₹)
1	Supplying & fixing Rolling Shutter of	4.56 sqm	950 P/sqm	4332

	approved make having width below 3.5 metre		(Part Rate)	
2	P/F 27.5 centimetre long wire spring for rolling shutter	2 Nos.	640 each (Part Rate)	1280
3	P/F Top cover for Rolling Shutters	2.12 Rmt	430 P/Rmt (Part Rate)	912
4	P/F wall bearing for Rolling Shutters	2 Nos.	690 each (Part Rate)	1380
5	P/F Vista vertical blinds of superior quality	56.89 sqm	2152 P/sqm (Part Rate)	122427
<b>योग</b>				<b>1,30,331</b>

(iii) संविदाकार द्वारा टेंडर में विभिन्न कार्य मदों की दरें केवल अंकों में ही दर्ज की गई थी जबकि CPWD Manual, Volume-II के पैरा 20.1.13.4 तथा NIT की शर्त संख्या 12 व 15 के अनुसार यह दरें अंकों व शब्दों (दोनों) में भरी जानी अपेक्षित थीं। अतः टेंडर प्रक्रिया में पाई गई त्रुटि बारे तथ्यों सहित वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि उक्त चूक से हिमुडा को कोई भी वित्तीय हानि नहीं हुई है। तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

**25 वाउचर संख्या 73, दिनांक 24.8.2016, ₹25,05,594**

कार्य का नाम:- C/O Indoor Stadium at Rohru, Distt. Shimla (SH: Additional civil work and providing and laying external sewerage system

संविदाकार:- श्री वृजेश कंवर

अनुबन्ध संख्या:- 4 वर्ष 2016-17

बिल:- प्रथम चलत बिल

माप पुस्तिका संख्या:- 1847/2016 (पृष्ठ 1 से 22)

आबंटित राशि:- ₹47,29,631

(i) उपरोक्त निर्माण कार्य के प्रथम चलत बिल में मद संख्या 4 (i) व (ii) के अंतर्गत Aluminium की कार्य मात्रा का किलो ग्राम में निष्पादन किया गया जिसके लिये निम्न विवरणानुसार ₹1,86,480 का भुगतान किया गया। परन्तु Aluminium को मीटर से किलो ग्राम में बदलने सम्बन्धी conversion factors अभिलेख में संलग्न नहीं थे जिससे किलो ग्राम में निष्पादित कार्य मात्रा की पुष्टि नहीं हो सकी। चर्चा के दौरान मण्डल कार्यालय द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि कार्य स्थल पर Aluminium का weight करके वास्तविक conversion factors लगाये गये थे। परन्तु इस सम्बन्ध में Site Order Book अथवा अन्यत्र कहीं पर भी इन conversion factors को सहायक/अधिशोषी अभियन्ता द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसके सम्बन्ध में तथ्यों सहित पूर्ण स्पष्टीकरण दिया जाये। इसके अतिरिक्त सक्षम अधिकारी द्वारा कार्य स्थल में मौके पर सत्यापित Conversion Factors से संबन्धित अभिलेख अंकेक्षण में

प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि किए गए भुगतान को न्यायोचित ठहराया जा सके:-

मद सं०	मद का नाम	माप पुस्तिका/ पृष्ठ	Running Metres में मात्रा	Conversion factor जो लगाया गया (Kg. P/Rmt.)	निष्पादित मात्रा (किलो ग्राम)	दर प्रति किलो ग्राम	भुगतान राशि (₹)
4(i)	P/F anodized aluminium work for doors, windows, ventilators	1847/2016 Page- 9,10,11,16	78.72 Rmt	2.824 (Section 37x125mm)	222.30	450	1,00,035
4(ii)	P/F anodized aluminium work for shutters of doors, windows, ventilators	1847/2016 Page- 9,10,11,16	11.82 Rmt	3.100 (Section not mentioned)	36.64	500	18,320
			5.61 Rmt	2.450 (Section not mentioned)	13.74	500	6,870
			44.19 Rmt	2.200 (Section not mentioned)	97.21	500	48,605
			220.24 Rmt	0.070 (Section not mentioned)	15.42	500	7,710
			8.79 Rmt	0.085 (Section not mentioned)	0.75	500	375
			12 Nos	0.300 (Section not mentioned)	3.60	500	1,800
			12 Nos	0.250 (Section not mentioned)	3.00	500	1,500
			23 Nos	0.110 (Section not mentioned)	2.53	500	1,265
<b>योग</b>					<b>399.04 Kg</b>		<b>1,86,480</b>

## 26 वाउचर संख्या 75, दिनांक 24.8.2016, ₹16,76,066

कार्य का नाम:-

C/O High School under RMSA at Jarkot (Chauhara), Distt. Shimla (H.P.)

(SH: C/O Block of 2 No. class room including WS & SI)

संविदाकार:-

श्री संजीव कुमार

अनुबन्ध संख्या:-

2 वर्ष 2011-12

बिल:-	चौथा चलत बिल
माप पुस्तिका संख्या:-	1804/14 पृष्ठ 25 से 40
Awarded राशि:-	₹39,14,346

**(i) वायर गेज शटर की मद में ₹0.02 लाख का अधिक भुगतान**

उपरोक्त निर्माण कार्य की मद संख्या: 18 ( Annexure-A) “Providing and fixing wire guage shutters for doors, windows etc.” के अन्तर्गत माप पुस्तिका संख्या: 1810/14 पृष्ठ-42 पर 0.83 (0.47+0.36) वर्ग मी० मात्रा निष्पादित की गई जबकि यह कार्य मात्रा निष्पादित नहीं होनी थी क्योंकि मद संख्या 17 ( Annexure-A) “Providing and fixing 40mm thick 2<sup>nd</sup> class panelled glazed window shutters etc.” के अन्तर्गत माप पुस्तिका संख्या: 1810/14 पृष्ठ-41 पर पहले से ही यहां पर Fixed window shutters लगाये गये थे। इस प्रकार fixed window shutters के ऊपर wire guage shutters लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता। परिणामस्वरूप संविदाकार को ₹1951 (0.83 वर्ग मी०x2350 प्रति वर्ग मी० की दर से) का अधिक भुगतान किया गया। अतः इस सम्बन्ध में तथ्यों सहित वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाये व किए गये अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी उचित स्रोत से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये

**(ii) गलत गणना के कारण ₹0.01 लाख का अधिक भुगतान**

उपरोक्त निर्माण कार्य की मद संख्या: 15 ( Annexure-A) “ RR masonry in foundation & plinth” के अन्तर्गत माप-पुस्तिका संख्या: 1792/14 पृष्ठ-32 कुल 33 घन मी० मात्रा निष्पादित की गई। परन्तु इस मात्रा में शामिल मद संख्या: 8 के अन्तर्गत cement concrete Bond की कार्य मात्रा को नहीं घटाया गया था। परिणामस्वरूप को RR masonry के कार्य में ₹725 का अधिक भुगतान किया गया। अतः इस सम्बन्ध में उचित स्पष्टीकरण दिया जाये तथा इसे न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अधिक भुगतान की उचित स्रोत से वसूली करके अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

RR Masonry की निष्पादित मात्रा (घन मी०)	मात्रा जो बनती थी (घन मी०)	अन्तर	RR Masonry की भुगतान दर	अधिक भुगतान
15.69 {1x7.25x[(1.46+0.76) x2]x1.95} (3 <sup>rd</sup> step 1 <sup>st</sup> piece)	15.55 {1x7.25x[(1.44+0.76) x2]x1.95} (3 <sup>rd</sup> step 1 <sup>st</sup> piece)	0.29 cum	2500 P/cum	725
17.31 {1x8.00x[(1.46+0.76) x2]x1.95} (3 <sup>rd</sup> step 2 <sup>nd</sup> piece)	17.16 {1x8.00x[(1.44+0.76) x2]x1.95} (3 <sup>rd</sup> step 2 <sup>nd</sup> piece)			
33 cum	32.71 cum			
नोट:- चौड़ाई 1.46 मी० से 1.44 मी० के बीच में cc Bond डाला गया था				

### (iii) Substitute Items की स्वीकृत दरों का अभिलेख प्रस्तुत न करना

उपरोक्त निर्माण कार्य के चौथे चलत बिल में Substitute Items के निष्पादन हेतु निम्न विवरणानुसार 2,11,780 का भुगतान संविदाकार को किया गया था। इन मदों के भुगतान हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा Approved Rates अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किए गये। चर्चा के दौरान मण्डल कार्यालय द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उक्त दरें सक्षम प्राधिकारी से अभी तक स्वीकृत नहीं हुई हैं जिन्हें आवश्यक स्वीकृति उपरान्त अंकेक्षण को प्रस्तुत कर दिया जाएगा। अतः इस सम्बन्ध में शीघ्र अपेक्षित कार्यवाही करके अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ताकि किये गये भुगतान को उचित ठहराया जा सके:-

माप पुस्तिका/पृष्ठ	प्रतिस्थापित मद	निष्पादित मात्रा	Unapproved Rates	भुगतान राशि (₹)
1804/14 Page-34	P/L Vetrified tiles 10mm thick in flooring, treads of steps etc.	297.35 sqm	666 P/sqm (PR)	1,97,738
	P/L Vetrified tiles 8mm thick in skirting, risers of steps etc.	23.80 sqm	590 P/sqm (PR)	14,042
Total				2,11,780

### 27 वाउचर संख्या 86, दिनांक 30.8.2016, ₹86,337

कार्य का नाम:- C/O Mashroom Unit at Dutt Nagar Rampur, Distt. Shimla (SH: C/O Intake chamber, flooring in existing storage tank, plastering inner/outer side and CGI sheet roofing.  
संविदाकार:- श्री ज्ञान चंद राजा  
अनुबन्ध संख्या:- 23 वर्ष 2013-14  
बिल:- तीसरा व अन्तिम बिल  
माप पुस्तिका संख्या 1794/14 (पृष्ठ 39 से 53)

### (i) ₹2.50 लाख की अग्रिम राशि को Contractor Ledger में दर्ज न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संविदाकार को वाउचर संख्या 34, दिनांक 6.2.2016 द्वारा ₹2,50,000 की अग्रिम राशि प्रदान की गई क्योंकि उक्त तीसरा व अन्तिम बिल मण्डल कार्यालय में under process था। हालांकि इस राशि की वसूली बाद में उक्त बिल से माप पुस्तिका संख्या 1794/14 के पृष्ठ 53 पर कर ली गयी थी। परन्तु इस राशि को नियमानुसार Contractor Ledger में दर्ज नहीं किया गया था जिसके अभाव में अंकेक्षण में यह पुष्टि न हो सकी कि समय-2 पर संविदाकार को कितनी अग्रिम राशि प्रदान की गयी तथा कितनी वसूल की गयी। अतः इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस अग्रिम राशि को Contractor Ledger के माध्यम से ही दर्ज करके खारिज किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) उक्त कार्य दिनांक 18.3.2014 को प्रारम्भ (Commence) हुआ जिसको 2 माह में दिनांक 17.5.2014 को समाप्त होना था। परन्तु माप पुस्तिका संख्या 1794/14 के पृष्ठ-39 (Record entry), पृष्ठ-43 (Abstract of cost) व भुगतान वाउचर संख्या 86 के साथ संलग्न Running Account Bill के अनुसार कार्य अन्तिम रूप से दिनांक 24.11.2015 को समाप्त हुआ जिसे cutting/overwriting करके दिनांक 18.2.2015 में बदला गया जिसको सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। अधीक्षण अभियंता से भी दिनांक 18.2.2015 तक ही अवधि बढ़ाव (Time extension) की स्वीकृति प्राप्त की गई थी। अतः अभिलेख में असत्यापित cutting/overwriting से प्रतीत होता है कि अधीक्षण अभियंता से अवधि 19.2.2015 से 24.11.2015 की अपेक्षित अवधि बढ़ाव (Time extension) की स्वीकृति से बचने का प्रयास किया गया जो कि गम्भीर आपत्तिजनक है। इसके अतिरिक्त संविदाकार से अनुबन्ध की शर्त-2 (Clause-2) के अनुसार Tendered ₹3,64,712 के उपर 1% तक विलम्ब अवधि के प्रत्येक दिवस हेतु दण्ड राशि की वसूली की जा सकती थी। अतः पाई गई अनियमितताओं बारे पूर्ण छानबीन उपरान्त तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा उक्त शर्त (Clause) के अनुसार संविदाकार से अपेक्षित वसूली सुनिश्चित की जाये।

उपरोक्त के सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 24, दिनांक 2.1.2018 का मण्डल कार्यालय द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई लिखित प्रतिउत्तर नहीं दिया जो कि अनियमित है जिसके सम्बन्ध में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए उक्त आपत्तियों का निपटारा करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**28 वाउचर संख्या 88, दिनांक 30.8.2016, ₹20,11,025**

कार्य का नाम:-	SFS at Flowerdale, Shimla (H.P.) (SH: C/O 24 Nos Cat-III Flats i/c internal WS & SI)
संविदाकार:-	श्री कृष्ण कुमार
अनुबन्ध संख्या:-	13 वर्ष 2014-15
बिल:-	6ठा चलत बिल
माप पुस्तिका संख्या:-	1814/2015 पृष्ठ 65 से 87
आबंटित राशि:-	₹3,88,05,921/-

**(i) ब्रिक वर्क की कार्य मात्रा से होल्ड फास्ट के लिये बनाये गये सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक की कार्य मात्रा को कम न करने के फलस्वरूप ₹0.26 लाख का अधिक भुगतान**

उपरोक्त निर्माण कार्य में दरवाजों की फ्रेमों को लगाने के लिये आयरन के होल्ड फास्ट का प्रयोग व भुगतान किया गया। इन होल्ड फास्ट को लगाने हेतु 0.30x0.10x0.15 एम०एम० के सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक बनाये गये थे जिन्हें लगाने हेतु अनुबन्ध की मद सं० 37 द्वारा छठे चलत बिल तक माप पुस्तिका सं० 1814/2015 पृष्ठ-78 पर कुल 720 होल्ड फास्ट के लिये भुगतान किया गया था। परन्तु इन होल्ड फास्ट हेतु डाली गयी सी०सी० ब्लॉक को माप पुस्तिका सं०

1814/2015 पृष्ठ-76 में मद सं० 22 वस्तुतः ब्रिक वर्क से नहीं घटाया गया था जिसके परिणामस्वरूप निम्न गणना अनुसार संविदाकार को ₹25,920 का अधिक भुगतान किया गया। अतः संविदाकार को ₹25,920 के किये गये अधिक भुगतान बारे उचित स्पष्टीकरण दिया जाये व इसे न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी संविदाकार से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये:-

चलत बिल	माप पुस्तिका सं०	ब्रिक वर्क की कार्य मात्रा जो दो बार भुगतान की गयी (घन मी०)	दर प्रति घन मी० (₹)	अधिक भुगतान (₹)
6ठा	1814/2015	720x0.30x0.10x0.15=3.24	8000	25,920

**(ii) ब्रिक वर्क से दरवाजों की मात्रा न घटाने के कारण ₹3780 का अधिक भुगतान**

उपरोक्त निर्माण कार्य में माप पुस्तिका संख्या: 1837/2016 के पृष्ठ-17 पर मद संख्या 24 “Half Brick Masonry in superstructure above plinth level etc.” से Door1 (D1) की मात्रा नहीं घटाई गई थी। परिणामस्वरूप संविदाकार को निम्न विवरणानुसार ₹3,780 का अधिक भुगतान किया गया। अतः किये गये अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी संविदाकार से वसूली करके अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए:-

माप पुस्तिका सं०/पृष्ठ	मद	पांचवें बिल तक ब्रिक वर्क की निष्पादित मात्रा	Door1 की कटौती जो ब्रिक वर्क से नहीं घटाई गई	ब्रिक वर्क की भुगतान दर	अधिक भुगतान
1814/2015 पृष्ठ-57	24. Half Brick Masonry	179.82 वर्ग मी०	4.20 वर्ग मी० (1x1.00x2.10)x2	900 प्रति वर्ग मी० (PR)	3780

**(iii) प्रतिस्थापित मदों (Substitute Items) की स्वीकृत दरों का अभिलेख में प्रस्तुत न करना**

उपरोक्त निर्माण कार्य के छोटे चलत बिल तक प्रतिस्थापित मदों (Substitute Items) के निष्पादन हेतु निम्न विवरणानुसार ₹4,62,680 का भुगतान संविदाकार को किया गया था। इन मदों के भुगतान हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमानित दरें (Approved Rates) अंकेक्षण को प्रस्तुत अभिलेख में नहीं पाई गई। चर्चा के दौरान मण्डल कार्यालय द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उक्त दरें सक्षम प्राधिकारी से अभी तक स्वीकृत नहीं हुई हैं जिन्हें आवश्यक स्वीकृति उपरान्त अंकेक्षण को प्रस्तुत कर दिया जाएगा। अतः इस सम्बन्ध में शीघ्र अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये ताकि किये गये भुगतान को उचित ठहराया जा सके:-

माप पुस्तिका/पृष्ठ	प्रतिस्थापित मद	निष्पादित मात्रा	Unapproved Rates	भुगतान राशि (₹)
1814/2015 Page-81	P/F 0.60mm thick prepainted steel sheet in roofing	404.59 sqm	1000 P/sqm (PR)	4,04,590
1814/2015 Page-82	P/F Ridges or hips 60cm overall with prepainted steel sheet in roofing	62.75 Rmt.	400 P/Rmt (PR)	25,100
1814/2015 Page-83	P/F Valley 60cm overall with prepainted steel sheet in roofing	65.98 Rmt.	500 P/Rmt (PR)	32,990
<b>Total</b>				<b>₹4,62,680</b>

## 29 आर०आर० मैसनरी की कार्य मात्रा से वीप होल्स की कटौती न करने के कारण संविदाकार को ₹0.17 लाख का अधिक भुगतान

निम्न निर्माण कार्यों के चलत बिलों में अनुबंध की मद “P/F 100 mm पी०वी०सी० पाईप इन वीप होल्स” की कार्य मात्रा की जाँच करने पर पाया गया कि अनुबंध की मद “आर०आर० मैसनरी” के भुगतान के समय वीप होल्स में प्रयोग 100mm पी०वी०सी० पाईप के आयतन की कटौती नहीं की गई थी। आर०आर० मैसनरी के भुगतान के समय आर०आर० मैसनरी की देय मात्रा में से 100mm पी०वी०सी० पाईप के आयतन के बराबर की कार्य मात्रा की कटौती की जानी अपेक्षित थी। परिणामस्वरूप संविदाकार को कुल ₹17,410 का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न दिया गया है। अतः अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित माध्यम/संविदाकार से सुनिश्चित की जाए:-

क्रम सं०	वाउचर संख्या व दिनांक एवं माप पुस्तिका	राशि (₹)	कार्य का नाम	चलत बिल	वीप होल की भुगतान मात्रा (100 एम०एम० dia)	आर०आर० मैसनरी की दो बार भुगतान मात्रा (घन मी०)	आर०आर० मैसनरी की दर प्रति घन मी०	अधिक भुगतान
1.	104, दिनांक 31.12.16/ माप पुस्तिका 1857/16 पृष्ठ-39, मद सं० 94	28,11,803	Residential complex below BCS Phase-II, Sector-IV	10वां	157.54 Rmt	22/7x0.05x 0.05x157.54 =1.24 cum	3000	3720
2	88, दिनांक 30.8.16/ माप पुस्तिका 1814/2015 पृष्ठ-81, मद सं० 85	20,11,025	SFS at Flowerdale Shimla	6ठा	229.05 Rmt	22/7x0.05x 0.05x229.05 =1.80 cum	4700	8460
3	26, दिनांक 4.8.16/ माप	13,37,186	Police Building/Qtrs. Under	दूसरा	145.20 Rmt	22/7x0.05x 0.05x145.20 =1.14 cum	2400	2736

	पुस्तिका 1836/2016 पृष्ठ- 9, मद सं० 77		modernization scheme for the year 2009-10					
4	50, दिनांक 12.8.16/ माप पुस्तिका 1 795/14 पृष्ठ-68, मद सं० 81	4,17,003	C/O Central Store at Duttnagar, Rampur, Distt. Shimla	चौथा व अन्तिम	108.85 Rmt	22/7x0.05x 0.05x108.85 =0.86 cum	2900	2494
<b>योग</b>								<b>17,410</b>

### 30 निष्पादित निर्माण कार्यों की विभिन्न मदों की मात्रा में ₹93.68 लाख का बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से विचलन (Deviation)

Himachal Pradesh Housing And Urban Development Authority, NigamVihar, Shimla-171002 के पत्र संख्या: HIMUDA-Saving/Misc./2004 दिनांक 27.12.2004 के अनुसार “Deviation wherever eminent on account of unforeseen circumstances, the same be only executed after obtaining written prior approval of the competent authorities” निर्माण कार्यों से संबन्धित विभिन्न चलित बिलों की पड़ताल करने पर पाया गया कि अनेक मदों का कार्य निर्धारित विचलन की प्रतिशतता से कहीं अधिक अनियमित रूप से सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना निष्पादित करवाया गया था। जबकि उपरोक्त पत्र के द्वारा जारी निर्देशों अनुसार कार्य निष्पादन से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य था। इस प्रकार के कुछ प्रकरणों का ब्यौरा नीचे दिया गया है। अनुबन्ध में निर्धारित कार्य मात्रा से ₹93,68,757 की अत्याधिक मात्रा का कार्य बिना स्वीकृति प्राप्त किए ही करवाया जाना एक गंभीर अनियमितता है। यद्यपि इस प्रकार की आपत्तियाँ पूर्व में भी उठाई गई थी, परन्तु इस संबंध में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। वर्तमान अंकेक्षण में इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 19, दिनांक 30.12.2017 का कोई भी प्रतिउत्तर मण्डल कार्यालय द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया जो कि आपत्तिजनक है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये। इसके अतिरिक्त यह गम्भीर प्रकरण आवश्यक समाधान एवं भविष्य हेतु उचित दिशा निर्देश जारी किए जाने हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाया जाता है:-

क्र.स.	कार्य मद संख्या व संक्षिप्त नाम	माप पुस्तिका/पृ.सं	घन मी०/वर्ग मी०/कि० ग्राम इत्यादि	अनुबंध अनुसार कार्य मात्रा	निष्पादित कार्य मात्रा	भुगतान दर प्रति घन मी०/वर्ग मी० इत्यादि	अधिक मात्रा	किया गया भुगतान ( )	अधिक प्रतिशत
1	C/O Indoor stadium at Rohru, Distt. Shimla (SH: Additional civil work and providing & laying sewerage system (1 <sup>st</sup> Running Bill)								
	6. P/F 6mm thick backlite sheet	1847/17	sqm	8.64	20.76	1450	12.12	17574	140%

	8. P/F 19mm thick water proof board in shelves	1847/17	Sqm	65.83	307.18	1225	241.35	295654	367%
	14. P/F 8mm thick glass and fixing blusters	1847/18	sqm	2.36	57.90	4360	55.54	242154	2353%
<b>2</b>	<b>Renovation of HP State Cooperative Bank, Branch Dhalli, Shimla (3<sup>rd</sup> Running Bill)</b>								
	18(ii) P/F anodized aluminium work for shutters of doors, windows	1784/55	Kg.	45.88	61.78	650	15.90	10335	35%
	28. Applying priming coat over new wood	1784/58	Sqm	19.73	283.80	32	264.07	8450	1338%
	29. Painting two coats over new wood	1784/58	Sqm	19.73	283.80	55	264.07	14524	1338%
<b>3</b>	<b>PSFS at Sanjouli Phase-III, Shimla (SH: C/O 12 Nos. Cat-II flats) (9<sup>th</sup> Running Bill)</b>								
	5(b) Form work in flat surfaces	1829/3	Sqm	1398.70	2016.70	200	618	123600	44%
	5(d) Form work in columns, pillars	1829/4	Sqm	920.25	1269.70	200	349.45	69890	38%
	7. P/L CC 1:4:8 in foundation & plinth	1829/5	Cum	49.46	77.77	2800	28.31	79268	57%
	12(a) P/L CC having strength M-20 in foundation & footing	1829/6	Cum	82.83	119.14	5000	36.31	181550	44%
	12(c) P/L CC having strength M-20 in suspended floors, roofs	1829/7	Cum	321.08	387.80	5000	66.72	333600	21%
	12(d) P/L CC having strength M-20 in columns, pillars	1829/7	Cum	83.23	113.55	5000	30.32	151600	36%
	13. P/L CC having strength M-20 in reinforced concrete chajjas	1829/8	Cum	5.23	12.16	11000	6.93	76230	133%
	18. P/L CC 1:8:16 in depressed portion of slab	1829/8	Cum	56.65	78.24	2500	21.59	53975	38%
	26. RR masonry in breast & retaining walls	1829/9	Cum	357.01	1108.65	2700	751.64	2029428	211%
<b>4</b>	<b>Residential complex below BCS Phase-II (SH: C/O 12 Nos. cat-II Flats Block 50-A and 50-B (10<sup>th</sup> Detailed Running Bill)</b>								
	<b>Annexure-A</b>								
	1. Cutting in earth work	1857/2	Cum	2156.34	3470.68	580	1314.34	762317	61%
	7. P/L CC 1:4:8 in foundation & plinth	1857/6	Cum	34.04	45.81	3000	11.77	35310	35%
	12. P/L CC 1:2:4 in foundation & plinth	1857/8	Cum	2.65	21.29	4000	18.64	74560	703%
	15. Applying coat of	1857/9	Sqm	142.03	330.78	100	188.75	18875	133%

	hot bitumen on damp proof course								
	22. Brick work in foundation & plinth	1857/12	Cum	11.62	31.65	5500	20.03	110165	172%
	28. RR masonry in breast & R/walls	1857/14	Cum	337.49	731.79	3000	394.30	1182900	117%
	52. Kota stone slab 20mm thick	1857/24	Sqm	8.28	38.14	1190	29.86	35533	361%
	81. 6mm cement plaster to ceiling	1857/35	Sqm	1342.75	1652.30	100	309.55	30955	23%
<b>Annexure-B</b>									
	36. Construction of manhole with RCC top slab in 1:2:4	1857/51	Nos.	6	12	10000	6	60000	100%
<b>5</b>	<b>SFS at Flowerdale, Shimla (SH: C/O 24 Nos. Cat-III Flats) (6<sup>th</sup> Running Bill)</b>								
	27. RR masonry in foundation & plinth	1814/77	Cum	61.18	193.41	4700	132.23	621481	216%
<b>6</b>	<b>Police Building/Quarters under modernization scheme for the year 2009-10 (SH: C/O Police Post Building at Jeori, Rampur) (2<sup>nd</sup> Running Bill)</b>								
	1. Cutting in earth work	1834/7	Cum	773.40	7969.01	120	7195.61	863473	930%
	25. RR masonry in R/walls & breast walls	1834/8	Cum	409.71	605.77	2400	196.06	470544	48%
<b>7</b>	<b>C/O High School under RMSA at Jarkot (Chauhara), Distt. Shimla (SH: C/O Block of 2 Nos. Class Room) (4<sup>th</sup> Running Bill)</b>								
	1. Cutting in earth work	1804/25	Cum	253.80	1271.40	135	1017.60	137376	401%
	2. Excavation in foundation & trenches	1804/26	Cum	87.56	458.55	220	370.99	81618	424%
	8. P/L CC 1:8:16 under flooring	1804/28	Cum	10.15	36.77	2600	26.62	69212	262%
	10(b) P/L CC having strength M-20 in suspended floors	1804/29	Cum	72.26	97.60	5000	25.34	126700	35%
	13. Brick work in superstructure	1804/30	Cum	48.06	94.54	5500	46.48	255640	97%
	15. RR masonry in foundation & plinth	1804/31	Cum	26.23	306.45	2500	280.22	700550	1068%
	41. 6mm cement plaster to ceiling	1804/37	Sqm	395.05	576.72	85	181.67	15442	46%
	43. 20mm cement plaster on rough side	1804/38	Sqm	530.98	748.47	130	217.49	28274	41%
								<b>योग</b>	<b>9368757</b>

### 31 निर्माण कार्यों में लकड़ी की कार्य मदों पर ₹44.86 लाख के भुगतान से पूर्व संविदाकार के खरीद बिलों की पुष्टि न करना

अनुबन्ध की General specification & conditions संख्या: 13 में वर्णित शर्त के अनुसार “The contractor shall have to purchase the timber to be used on works from an authorized dealer/agency and he would produce necessary receipts/vouchers as a

proof before releasing the payment of the wood work”. परन्तु चयनित माह 8/2016 में निम्न वर्णित निर्माण कार्यों के लिए प्रयोग में लाई गयी लकड़ी की खरीद के सम्बन्ध में संविदाकार के बिल इत्यादि अंकेक्षण में पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जबकि लकड़ी की कार्य मदों पर संविदाकार को ₹44,86,448 का भुगतान किया गया था। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 13, दिनांक 19.12.2017 का मण्डल द्वारा कोई भी प्रतिउत्तर नहीं दिया गया जो कि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः इस बारे तथ्यों सहित पूर्ण स्पष्टीकरण दिया जाये व अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये:-

Sr. No	Vr. No./Date/ Agg. No.	Amount	Name of Work	R/Bill	No. & Name of Item executed	Qty. executed	Rate of wood P/cum or sqm	Total amount (₹)
1	68, 20.8.16, Agg. 22 of 2015-16	4,96,270	Renovation of HP State Cooperative Bank, Branch Dhalli	3 <sup>rd</sup> R/Bill	Item No. 4. Providing wood work in frames of doors, windows	0.045 Cum	60000 P/cum	2,700
					Item No. 5. Providing wood work in frames of false ceiling	1.508 Cum	50000 P/cum	75,400
					Item No. 6. P/F 40mm thick Indian teak wood panelled glazed shutters for doors, windows	3.88 Sqm	3500 P/sqm	13,580
					Item No. 7. P/F 40mm thick 2 <sup>nd</sup> class Deodar wood panelled glazed shutters for doors, windows	3.54 Sqm	2800 P/sqm	9,912
					Item No. 8. P/F 20mm thick 2 <sup>nd</sup> class Indian teak wood plain lining	40.28 Sqm	3500 P/sqm	1,40,980
					Item No. 9. P/F 20mm thick 1 <sup>st</sup> class Indian teak wood plain skirting	7.03 Sqm	3800 P/sqm	26,714
2	44, 9.8.16, Agg. 19 of 2012-13	25,39,376	C/O PSFS at Sanjouli Ph-III, Shimla (SH: C/O 12 Nos. Cat-II Flats)	9 <sup>th</sup> R/Bill	Item No. 29. Providing wood work in frames of doors, windows	(i) 3.7836 Cum	75000 P/cum	2,83,770
						(i) 10.746 cum	56,250 P/cum (PR)	6,04,463
					Item No. 30. P/F panelled door shutters 2 <sup>nd</sup> class Deodar wood	188.19 sqm	2100 P/sqm (PR)	3,95,199

					Item No. 31. P/F window shutters 2 <sup>nd</sup> class Deodar wood	127.93 sqm	1875 P/sqm (PR)	2,39,869
3	104, 31.12.16, Agg. 27 of 2013-14 (Detailed Bill)	28,11,803	Residential complex below BCS Ph-II (SH: C/O 12 Nos. cat-II flats Block 50-A & 50-B)	10 <sup>th</sup> R/Bill	Item No. 32. Providing wood work in doors, windows 2 <sup>nd</sup> class Deodar wood	12.611 Cum	86000 P/cum	10,84,546
					Item No. 33. P/F 40mm thick panelled door shutters 2 <sup>nd</sup> class Deodar wood	149.89 sqm	3400 P/sqm (PR)	5,09,626
					Item No. 34. P/F 40mm thick glazed windows shutters 2 <sup>nd</sup> class Deodar wood	83.45 Sqm	2900 P/sqm (PR)	2,42,005
4	88, 30.8.16, Agg. 13 of 2014-15	20,11,055	SFS at Flowerdale, Shimla (SH: C/O 24 Nos Cat-III Flats)	6 <sup>th</sup> R/Bill	Item No. 30. Providing wood work in femes of doors, windows etc.	6.269 cum	96,000 P/cum (PR)	6,01,824
5	50, 12.8.16, Agg. 5 of 2014-15	4,17,003	C/O Central Store at Duttanagar, Rampur, Distt. Shimla i/c WS & SI	4th & Final Bill	Item No. 27. P/F 40mm thick panelled door shutters 2 <sup>nd</sup> class Deodar wood	3.32 sqm	3000 P/sqm	9,960
					Item No. 28. P/F 40mm thick glazed windows shutters 2 <sup>nd</sup> class Deodar wood	13.12 sqm	2800 P/sqm	36,736
6	75, 24.8.16, Agg. 2 of 2011-12	16,76,066	C/O High School under RMSA at Jarkot (Chauhara), Distt. Shimla (SH: C/O Block of 2 Nos class room i/c WS & SI	4th R/Bill	Item No. 16. P/F 40mm thick panelled door shutters 2 <sup>nd</sup> class Deodar wood	20.15 sqm	2530 P/sqm (PR)	50,980
					Item No. 17. P/F 40mm thick panelled glazed windows shutters	76.05 sqm	2080 P/sqm (PR)	1,58,184
Total								44,86,448

### 32 निर्माण कार्यों का निर्धारित अवधि में पूर्ण न किया जाना

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि निम्न निर्माण कार्यों को निर्धारित अवधि के पश्चात भी पूर्ण नहीं किया गया था, जिससे एक ओर निर्माण कार्यों की लागत में अनावश्यक वृद्धि होती है साथ ही दूसरी ओर विभाग की कार्य प्रणाली पर भी प्रभाव पड़ता है। यद्यपि निर्माण कार्यों की निर्धारित समय अवधि पूर्ण होने के उपरांत औपचारिक समय बढ़ोतरी भी प्रदान की जाती है परन्तु औपचारिक समय बढ़ोतरी करने से निर्माण लागत में भी बढ़ोतरी होती है। अतः ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए कि निर्माण कार्यों को निर्धारित समय अवधि में पूर्ण किया जा सके, जिससे निर्माण कार्यों की लागत में अनावश्यक वृद्धि न होने पाये। निर्धारित समय अवधि में पूर्ण न किए गए कुछेक निर्माण कार्यों का विवरण निम्न दिया गया है। यह मामला/प्रकरण आवश्यक एवं उचित कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाता है:-

Sr. No.	Name of Work	Agreement No.	Awarded amount of work	Date of Start as per Agreement	Date of Completion as per agreement	Status as on 31.3.2017
1	C/O Indoor Stadium at Rohru, Distt. Shimla (H.P.) (SH: Addl. civil work and providing & laying external sewerage system)	4 of 2016-17	47,29,631	3.7.16	2.9.16	Work in progress
2	C/O PSFS at Sanjauli, Phase-III, Shimla (C/O 12 Nos. Cat-II Flats Block 5 & 23)	19 of 2012-13	2,83,70,519	12.12.12	4.7.14	Work in progress
3	Residential Complex below BCS Phase-II, Shimla (SH: C/O 12 Nos. Cat-II Flats Block 50-A & 50-B)	27 of 2013-14	3,13,64,526	18.3.14	17.9.15	Work in progress
4	SFS at Flowerdale Shimla (SH: C/O 24 Nos Cat-III Flats)	13 of 2014-15	3,88,05,921	20.3.15	19.2.17	Work in progress
5	Police Building/Qtrs. Under Modernisation Scheme for the year 2009-10 (SH: C/O Police Post Building at	2 of 2016-17	79,25,055	11.5.16	10.2.17	Work in progress

	Jeori, Teh. Rampur					
6	C/O High School under RMSA at Jarkot (Chauhara), Distt. Shimla (SH: C/O Block of 2 Nos Classroom i/c WS & SI	2 of 2011-12	39,14,346	14.6.11	13.6.12	Work in progress

33 लघु आपत्ति विवरणिका:- यह अलग से जारी नहीं कि गई है क्योंकि लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।

34. निष्कर्ष:- लेखाओं के रख रखाव में और सुधार की अति आवश्यकता है।

हस्ता/-  
(ज्ञान चन्द शर्मा)  
उप निदेशक  
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग  
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009  
फोन नं0 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या:- फिन (एल0ए0) एच (2)सी (15)(14) 123/88 खण्ड-17-4153-4155 दिनांक06.06.2018  
शिमला-09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- पंजीकृत 1 अधिशासी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल-1 शिमला-09 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 2 सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निगम विहार शिमला-171002
- 3 अतिरिक्त मुख्य सचिव (आवास) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-02

हस्ता/-  
(ज्ञान चन्द शर्मा)  
उप निदेशक  
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग  
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009  
फोन नं0 0177-2620881

अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या: 1(ग) में सन्दर्भित

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के निर्माण मण्डल-1, शिमला-171009 के लेखों अवधि 4/1995 से 3/2016 तक के अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनिर्णीत पैरों का विवरण

(ए) अनिर्णीत पैरों के अंकेक्षण प्रतिवेदन का विवरण	
(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1995 से 3/1996	
1) पैरा 23	अनिर्णीत
2) पैरा 28	अनिर्णीत
3) पैरा 43	अनिर्णीत
(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1996 से 3/1997	
1) पैरा 12(च)	अनिर्णीत
(3) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1998 से 3/1999	
1) पैरा 50	अनिर्णीत
2) पैरा 51(क)	अनिर्णीत
3) पैरा 51(ख)	अनिर्णीत
(4) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2000 से 3/2001	
1) पैरा 9	अनिर्णीत
2) पैरा 11	अनिर्णीत
3) पैरा 30	अनिर्णीत
4) पैरा 31	अनिर्णीत
(5) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2001 से 3/2002	
1) पैरा 13(1)	अनिर्णीत
2) पैरा 13(2)	अनिर्णीत
3) पैरा 14(1)	अनिर्णीत
4) पैरा 14(2)	अनिर्णीत
5) पैरा 33	अनिर्णीत
(6) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2003	
1) पैरा 10	अनिर्णीत
(7) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2004	
1) पैरा 15(ख)	अनिर्णीत
2) पैरा 15(ग)	अनिर्णीत
3) पैरा 21	अनिर्णीत
4) पैरा 23(क)	अनिर्णीत

- 5) पैरा 23(ख) अनिर्णीत
- (8) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2005**
- 1) पैरा 9(क) अनिर्णीत
- 2) पैरा 9(ख) अनिर्णीत
- 3) पैरा 10(क) अनिर्णीत
- 4) पैरा 26 अनिर्णीत
- 5) पैरा 30 अनिर्णीत
- (9) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2006**
- 1) पैरा 9(3) अनिर्णीत
- 2) पैरा 12(2) अनिर्णीत
- 3) पैरा 14 अनिर्णीत
- 4) पैरा 18 अनिर्णीत
- 5) पैरा 19 अनिर्णीत
- (10) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2007**
- 1) पैरा 15 अनिर्णीत (15(क) के अतिरिक्त शेष भाग अनिर्णीत)
- (11) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2008**
- 1) पैरा 12 निर्णीत (मूल अंकेक्षण प्रतिवेदन में निर्णीत दर्शाया गया है)
- 2) पैरा 13(ख) अनिर्णीत
- 3) पैरा 17(ख) अनिर्णीत
- (12) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2009**
- 1) पैरा 12 अंशतः निर्णीत (12(क) से (च) तक का निपटारा कर दिया गया है)
- 2) पैरा 13(क) अनिर्णीत
- 3) पैरा 13(ख, घ, व च) निर्णीत (मूल अंकेक्षण प्रतिवेदन में निर्णीत दर्शाये गए हैं)
- 4) पैरा 14 अनिर्णीत
- 5) पैरा 15 अनिर्णीत
- 6) पैरा 16 अनिर्णीत
- 7) पैरा 17 अनिर्णीत
- 8) पैरा 21 अनिर्णीत
- 9) पैरा 22 अनिर्णीत
- 10) पैरा 24 अनिर्णीत
- 11) पैरा 25 अनिर्णीत
- (13) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010**
- 1) पैरा 9 अनिर्णीत

2)	पैरा 10	अनिर्णीत	
3)	पैरा 11(ग)	अनिर्णीत	
4)	पैरा 17	अनिर्णीत	
5)	पैरा 18	अनिर्णीत	
6)	पैरा 19	अनिर्णीत	
7)	पैरा 20	अनिर्णीत	
8)	पैरा 23	अनिर्णीत	
9)	पैरा 24	अनिर्णीत	
10)	पैरा 25	अनिर्णीत	
11)	पैरा 28	अनिर्णीत	
12)	पैरा 29	अनिर्णीत	
13)	पैरा 31	अनिर्णीत	
<b>(14) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2011</b>			
1)	पैरा 6	अनिर्णीत	
2)	पैरा 6(1)	अनिर्णीत	
3)	पैरा 8	अनिर्णीत	
4)	पैरा 10	अनिर्णीत	
5)	पैरा 18	अनिर्णीत	
<b>(15) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2012</b>			
1)	पैरा 4(क)(ii)	अनिर्णीत	
2)	पैरा 4(घ)(ii)	अनिर्णीत	
3)	पैरा 8	अंशतः निर्णीत	(मद संख्या 3 से 8 तक सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दी गई है)
4)	पैरा 9	अनिर्णीत	
5)	पैरा 14(क)	अनिर्णीत	
6)	पैरा 14(ख)	अनिर्णीत	
7)	पैरा 17	अनिर्णीत	
8)	पैरा 21(क)	अनिर्णीत	
9)	पैरा 21(ख)	अनिर्णीत	
10)	पैरा 21(ग)	अनिर्णीत	
11)	पैरा 21(घ)	अनिर्णीत	
<b>(16) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2013</b>			
1)	पैरा 11	आंशिक निर्णीत	(केवल श्री ओ0पी0 वर्मा, संविदाकार से ₹6877 की वसूली की गयी है, शेष पैरा अनिर्णीत)
2)	पैरा 12(1)	अनिर्णीत	

3) पैरा 13	आंशिक निर्णीत	(केवल श्री ओ0पी0 वर्मा, संविदाकार से ₹545 की वसूली की गयी है, शेष पैरा अनिर्णीत)
4) पैरा 14	अनिर्णीत	
5) पैरा 20	अनिर्णीत	
6) पैरा 21	अनिर्णीत	
7) पैरा 21(1)	अनिर्णीत	
8) पैरा 22(2)	अनिर्णीत	
<b>(17) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2013 से 3/2014</b>		
1) पैरा 10(ख)	अनिर्णीत	
2) पैरा 10(ग)	अनिर्णीत	
3) पैरा 10(3)	अनिर्णीत	
4) पैरा 12(क) से (ख)	अनिर्णीत	
5) पैरा 13(क)	अनिर्णीत	
6) पैरा 16	अनिर्णीत	
7) पैरा 20	अनिर्णीत	
8) पैरा 22(क),(ख),(ग),(घ)	अनिर्णीत	
9) पैरा 23(क),(ख),(ग),(घ)	अनिर्णीत	
10) पैरा 24(ख),(ग),(घ)(i),(ii),(ड)	अनिर्णीत	
11) पैरा 25(क),(ख),(ग)	अनिर्णीत	
12) पैरा 26(क),(ख),(ग),(घ)(i),(ii),(ड),(च)	अनिर्णीत	
13) पैरा 27(क),(ख)(i),(ii)	अनिर्णीत	
14) पैरा 28(क), (ख), (ग), (घ), (ड), (च)(i),(ii)	अनिर्णीत	
15) पैरा 30(क),(ख),(ग)(i),(ii)	अनिर्णीत	
16) पैरा 31(क),(ख)	अनिर्णीत	
17) पैरा 32(क),(ख),(ग)(i),(ii)	अनिर्णीत	
18) पैरा 33(क),(ख)	अनिर्णीत	
19) पैरा 34(क)	अनिर्णीत	
20) पैरा 35(क)(i),(ii)	अनिर्णीत	
21) पैरा 37	अनिर्णीत	
22) पैरा 38	अनिर्णीत	
<b>(18) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2014 से 3/2015</b>		
1) 12	अनिर्णीत	
2) 14(क)	अनिर्णीत	
3) 18	अनिर्णीत	
4) 19	अनिर्णीत	
5) 21	अनिर्णीत	

6)	22	अनिर्णीत
7)	23	अनिर्णीत
8)	24	अनिर्णीत
9)	25	अनिर्णीत

**(19) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2015 से 03/2016**

1)	पैरा 4	निर्णीत	निर्णीत एवं वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति पुनः प्रारूपित
2)	पैरा 5	निर्णीत	निर्णीत एवं पुनः प्रारूपित
3)	पैरा 5.1	निर्णीत	निर्णीत एवं पुनः प्रारूपित
4)	पैरा 5.2	निर्णीत	निर्णीत एवं पुनः प्रारूपित
5)	पैरा 5.3	निर्णीत	निर्णीत एवं पुनः प्रारूपित
6)	पैरा 5.4	निर्णीत	निर्णीत एवं पुनः प्रारूपित
7)	पैरा 6	निर्णीत	निर्णीत एवं पुनः प्रारूपित
8)	पैरा 6.1	निर्णीत	निर्णीत एवं पुनः प्रारूपित
9)	पैरा 6.2	निर्णीत	निर्णीत एवं पुनः प्रारूपित
10)	पैरा 6.3	निर्णीत	निर्णीत एवं पुनः प्रारूपित
11)	पैरा 7	अनिर्णीत	
12)	पैरा 8	अनिर्णीत	
13)	पैरा 8.1	अनिर्णीत	
14)	पैरा 8.2	निर्णीत	निर्णीत एवं पुनः प्रारूपित
15)	पैरा 8.3	निर्णीत	निर्णीत एवं पुनः प्रारूपित
16)	पैरा 8.4	निर्णीत	निर्णीत एवं पुनः प्रारूपित
17)	पैरा 9	निर्णीत	निर्णीत एवं पुनः प्रारूपित
18)	पैरा 10	अनिर्णीत	
19)	पैरा 10.1	अनिर्णीत	
20)	पैरा 11	निर्णीत	निर्णीत एवं पुनः प्रारूपित
21)	पैरा 11.1	निर्णीत	₹1,246 की अपेक्षित वसूली रसीद संख्या 0152762 दिनांक 2.1.2018 द्वारा करने के उपरान्त निर्णीत
22)	पैरा 12	अनिर्णीत	
23)	पैरा 13	निर्णीत	निर्णीत एवं पुनः प्रारूपित
24)	पैरा 14	निर्णीत	अभिलेख प्रस्तुत करने के उपरान्त निर्णीत
25)	पैरा 15	अनिर्णीत	

26)	पैरा 16.1	अनिर्णीत
27)	पैरा 16.2	अनिर्णीत
28)	पैरा 17.1	अंशतः निर्णीत
		अंशतः निर्णीत ₹6,826 की अपेक्षित वसूली की प्रविष्टि माप पुस्तिका संख्या 1858/16 पृष्ठ-66 पर 11वें चलत बिल में दर्शाई गई है जबकि बिल पारित नहीं हुआ है जिसकी पुष्टि शेष है।
29)	पैरा 17.2	अनिर्णीत
30)	पैरा 18.1	अनिर्णीत
31)	पैरा 18.2	अनिर्णीत
32)	पैरा 18.3	अनिर्णीत
33)	पैरा 19.1	अनिर्णीत
34)	पैरा 20.1	अनिर्णीत
35)	पैरा 21	निर्णीत
		प्रस्तुत स्पष्टीकरण व भविष्य में ऐसी चूक न करने के आश्वासन पर निर्णीत।
36)	पैरा 22.1	अनिर्णीत
37)	पैरा 22.2	अनिर्णीत
38)	पैरा 23	अनिर्णीत
39)	पैरा 24	अनिर्णीत
40)	पैरा 25	अनिर्णीत
41)	पैरा 26	अनिर्णीत
42)	पैरा 27	अनिर्णीत
43)	पैरा 28	अनिर्णीत

(बी) पूर्व नगर विकास प्राधिकरण से मण्डल-1 को स्थानान्तरित बकाया पैरों की वर्तमान स्थिति

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1990 से 3/1991

1)	पैरा 42	अनिर्णीत
2)	पैरा 46	अनिर्णीत
3)	पैरा 55	अनिर्णीत

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1991 से 3/1992

1)	पैरा 9(ण)3	अनिर्णीत
2)	पैरा 9(ण)4	अनिर्णीत
3)	पैरा 9(त)(1)	अनिर्णीत
4)	पैरा 9(त)(2)	अनिर्णीत

5)	पैरा 9(त)(4)	अनिर्णीत
6)	पैरा 9(त)(7)	अनिर्णीत
7)	पैरा 9(त)(8)	अनिर्णीत
8)	पैरा 9(थ)	अनिर्णीत
9)	पैरा 9(ध)	अनिर्णीत
10)	पैरा 10(ग)	अनिर्णीत
11)	पैरा 10(घ)	अनिर्णीत
12)	पैरा 11	अनिर्णीत

**(3) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4 / 1992 से 3 / 1993**

1)	पैरा 11	अनिर्णीत
2)	पैरा 13	अनिर्णीत
3)	पैरा 16(डी)	अनिर्णीत
4)	पैरा 24	अनिर्णीत
5)	पैरा 25	अनिर्णीत
6)	पैरा 26	अनिर्णीत
7)	पैरा 27	अनिर्णीत

**(4) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4 / 1993 से 3 / 1994**

1)	पैरा 11(बी)	अनिर्णीत
2)	पैरा 11(सी)	अनिर्णीत
3)	पैरा 11(डी)	अनिर्णीत
4)	पैरा 11(एफ)	अनिर्णीत
5)	पैरा 11(जी)	अनिर्णीत
6)	पैरा 11(एच)	अनिर्णीत
7)	पैरा 11(आई)	अनिर्णीत
8)	पैरा 11(जे)	अनिर्णीत
9)	पैरा 11(के)	अनिर्णीत
10)	पैरा 11(एल)	अनिर्णीत
11)	पैरा 11(एम)	अनिर्णीत
12)	पैरा 11(एन)	अनिर्णीत
13)	पैरा 11(ओ)	अनिर्णीत
14)	पैरा 11(पी)	अनिर्णीत
15)	पैरा 11(क्यू)	अनिर्णीत
16)	पैरा 12	अनिर्णीत
17)	पैरा 14	अनिर्णीत
18)	पैरा 20(ए0सी0के0)	अनिर्णीत
19)	पैरा 21	अनिर्णीत
20)	पैरा 22	अनिर्णीत

- |     |             |          |
|-----|-------------|----------|
| 21) | पैरा 21(ए)  | अनिर्णीत |
| 22) | पैरा 31(बी) | अनिर्णीत |
| 23) | पैरा 32     | अनिर्णीत |
| 24) | पैरा 33     | अनिर्णीत |

(5) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1994 से 3/1995

- |     |              |          |
|-----|--------------|----------|
| 1)  | पैरा 5(6)    | अनिर्णीत |
| 2)  | पैरा 5(18)   | अनिर्णीत |
| 3)  | पैरा 5(19)   | अनिर्णीत |
| 4)  | पैरा 6(3)(1) | अनिर्णीत |
| 5)  | पैरा 6(3)(4) | अनिर्णीत |
| 6)  | पैरा 6(5)    | अनिर्णीत |
| 7)  | पैरा 6(16)   | अनिर्णीत |
| 8)  | पैरा 6(18)   | अनिर्णीत |
| 9)  | पैरा 6(19)   | अनिर्णीत |
| 10) | पैरा 6(20)   | अनिर्णीत |

(6) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1995 से 3/1996

- |     |         |          |
|-----|---------|----------|
| 1)  | पैरा 34 | अनिर्णीत |
| 2)  | पैरा 37 | अनिर्णीत |
| 3)  | पैरा 38 | अनिर्णीत |
| 4)  | पैरा 39 | अनिर्णीत |
| 5)  | पैरा 40 | अनिर्णीत |
| 6)  | पैरा 41 | अनिर्णीत |
| 7)  | पैरा 42 | अनिर्णीत |
| 8)  | पैरा 43 | अनिर्णीत |
| 9)  | पैरा 44 | अनिर्णीत |
| 10) | पैरा 46 | अनिर्णीत |
| 11) | पैरा 47 | अनिर्णीत |
| 12) | पैरा 48 | अनिर्णीत |
| 13) | पैरा 49 | अनिर्णीत |
| 14) | पैरा 50 | अनिर्णीत |

(7) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1996 से 3/1997

1)	पैरा 13(ड़)	अनिर्णीत
2)	पैरा 30(क)	अनिर्णीत
3)	पैरा 30(ख)	अनिर्णीत
4)	पैरा 30(ग)	अनिर्णीत
5)	पैरा 30(घ)	अनिर्णीत
6)	पैरा 30(ड़)	अनिर्णीत
7)	पैरा 30(च)	अनिर्णीत
8)	पैरा 31(ग)	अनिर्णीत
9)	पैरा 31(घ)	अनिर्णीत
10)	पैरा 31(ड़)	अनिर्णीत
11)	पैरा 31(छ)	अनिर्णीत
12)	पैरा 31(ज)	अनिर्णीत
13)	पैरा 32	अनिर्णीत
14)	पैरा 33(क)	अनिर्णीत
15)	पैरा 33(ख)	अनिर्णीत
16)	पैरा 35(ख)	अनिर्णीत
17)	पैरा 35(ग)	अनिर्णीत
18)	पैरा 35(घ)	अनिर्णीत
19)	पैरा 37	अनिर्णीत
20)	पैरा 39(ख)	अनिर्णीत
21)	पैरा 40(क)	अनिर्णीत
22)	पैरा 40(ख)	अनिर्णीत
23)	पैरा 45(क)	अनिर्णीत
24)	पैरा 48	अनिर्णीत
25)	पैरा 50	अनिर्णीत
26)	पैरा 54(च)	अनिर्णीत
27)	पैरा 64(ग)	अनिर्णीत
28)	पैरा 65	अनिर्णीत

(8) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1997 से 3/1998

1)	पैरा 14 (मण्डल 1 व 2)	अनिर्णीत
2)	पैरा 15(क)	अनिर्णीत
3)	पैरा 15(ख)	अनिर्णीत
4)	पैरा 15(ग)	अनिर्णीत
5)	पैरा 15(घ)	अनिर्णीत
6)	पैरा 15(ङ)	अनिर्णीत
7)	पैरा 15(छ)	अनिर्णीत
8)	पैरा 15(छ)(1)	अनिर्णीत
9)	पैरा 15(ज)	अनिर्णीत
10)	पैरा 15(झ)	अनिर्णीत
11)	पैरा 15(फ)	अनिर्णीत
12)	पैरा 15(ब)	अनिर्णीत
13)	पैरा 15(भ)	अनिर्णीत
14)	पैरा 15(म)	अनिर्णीत
15)	पैरा 15(त)	अनिर्णीत
16)	पैरा 15(थ)(1)	अनिर्णीत
17)	पैरा 15(थ)(2)	अनिर्णीत
18)	पैरा 15(थ)(3)	अनिर्णीत
19)	पैरा 21(1)	अनिर्णीत
20)	पैरा 21(2)(1)	अनिर्णीत
21)	पैरा 21(2)(क)	अनिर्णीत
22)	पैरा 21(3)	अनिर्णीत
23)	पैरा 21(13)(क)	अनिर्णीत
24)	पैरा 22(1)(क)	अनिर्णीत
25)	पैरा 22(1)(ख)	अनिर्णीत
26)	पैरा 22(7)(घ)	अनिर्णीत
27)	पैरा 22(7)(च)	अनिर्णीत
28)	पैरा 22(8)(ग)	अनिर्णीत
29)	पैरा 22(10)(ग)	अनिर्णीत

30)	पैरा 22(10)(घ)	अनिर्णीत
31)	पैरा 22(16)	अनिर्णीत
32)	पैरा 22(17)	अनिर्णीत
33)	पैरा 22(19)	अनिर्णीत
34)	पैरा 22(20)	अनिर्णीत
35)	पैरा 22(22)	अनिर्णीत
36)	पैरा 26(क)	अनिर्णीत

**(9) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1998 से 3/1999**

1)	पैरा 18	अनिर्णीत
2)	पैरा 25	अनिर्णीत
3)	पैरा 26	अनिर्णीत
4)	पैरा 32	अनिर्णीत
5)	पैरा 33	अनिर्णीत
6)	पैरा 34	अनिर्णीत
7)	पैरा 35	अनिर्णीत
8)	पैरा 36	अनिर्णीत
9)	पैरा 37	अनिर्णीत
10)	पैरा 41	अनिर्णीत
11)	पैरा 46	अनिर्णीत
12)	पैरा 61	अनिर्णीत
13)	पैरा 71	अनिर्णीत
14)	पैरा 78	अनिर्णीत
15)	पैरा 79	अनिर्णीत
16)	पैरा 80	अनिर्णीत

**(10) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1999 से 15.1.2001 तक**

1)	पैरा 21	अनिर्णीत
2)	पैरा 22(क)	अनिर्णीत
3)	पैरा 22(ख)	अनिर्णीत

4)	पैरा 22(ग)	अनिर्णीत
5)	पैरा 26(6)	अनिर्णीत
6)	पैरा 31	अनिर्णीत
7)	पैरा 32(क)	अनिर्णीत
8)	पैरा 35	अनिर्णीत
9)	पैरा 36	अनिर्णीत
10)	पैरा 37	अनिर्णीत
11)	पैरा 38	अनिर्णीत
12)	पैरा 41	अनिर्णीत
13)	पैरा 42	अनिर्णीत
14)	पैरा 46	अनिर्णीत
15)	पैरा 47	अनिर्णीत